मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/2010 से 12/2012

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) मन्दिर माता श्री चिन्तपूर्णी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2010 से 12/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी बतौर मन्दिर अधिकारी मन्दिर माता श्री चिन्तपूर्णी में कार्यरत्त थे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री नरेन्द्र शर्मा	सहायक आयुक्त	1/2010 से 05/2010
2	श्री अश्वनी रमेश	सहायक आयुक्त	1/2010 से 12/2012
3	श्री अवनीश शर्मा	मन्दिर अधिकारी	1/2010 से 12/2012

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में
1	10	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दी गई अग्रिम राशि का समायोजन न करना	₹2.32
2	11	आय की गणना के रजिस्टर में राशि का कम लिया जाना	₹4.51
3	12(क)	चढ़ावे के रूप से प्राप्त आय में से व्यय को कम न करने के पुजारी शेयर का अधिक भुगतान करना	₹40.10
4	12(ख)	गलत गणना के कारण पुजारी शेयर के रूप में राशि का अधिक भुगतान करना	₹0.98
5	12(ग)	पुजारियों/बारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की न मॉगी गई सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखना	₹149.25
6	14	मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा निक्षेप कार्य (डिपाजिट वर्क) करवाने के लिए अदा की गई के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	₹134.63

7	15	श्री जोगिन्द्र सिंह सेवादार लांगरी के आश्रितों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में राशि का अधिक भुगतान करना	₹0.36
8	16	माता चिन्तपूर्णी मन्दिर के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹6.19
9	17	सेवानिवृत कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹29.75
10	19(क)	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी तथा चपड़ासी को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹5.07
11	19(ख)	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिला स्तर तथा उप मण्डल स्तर पर कार्यरत्त अधिकारियों को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹0.86
12	19 (ग)	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹46.91
13	19 (घ)	मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों), हिमाचल प्रदेश के होमगार्डो तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	₹21.86
14	20	मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों), हिमाचल प्रदेश होमगार्डों तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को त्यौहार उपहार के रूप में नगद राशि का अनियमित भुगतान करना	₹5.17
15	21(क)	मैसर्ज जैन एण्ड एसोशिएसन गुडगांव से पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर के फेज–I के अतिरिक्त फेज–II तथा फेज–III का अनुमान तथा प्राकलन तैयार करवाने के कारण अनियमित भुगतान की सम्भावना	₹31.77
16	21(ख)	मैसर्ज जैन एसोशिएटस से स्त्रोत से आयकर की कटौती न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	₹2.11
17	28	बिजली के मीटर के बिल का दोहरा भुगतान	₹0.25
18	40	सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगढ़ को भुगतान की गई राशि के	₹25.36

		बारे में	
19	41(क)	अग्नि शमन (फायर टैण्डर) वाहन के क्रय पर स्वीकृति राशि से अधिक व्यय करना	₹20.97
20	41 (ख)	स्वराज माजदा टिप्पर वाहन संख्या एचपी–19–8525 का में क्रय करने से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	₹7.60
21	41(ग)	वहन Sx4 BS-IV का क्रय करने से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	₹7.95
22	41(घ)(i)	वाहन संख्या एच0पी0–19–सी–0099 का क्रय करने से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	
23	41(घ)(ii)	वाहन संख्या एच0पी0–19–सी–0099 से 35010 किलोमीटर दूरी की यात्राओं से सम्बन्धित विवरण उद्देश्य न दिए जाने के बारे मे	
24	41(ङ)(i)	वाहन संख्या एच0पी0 20–सी–004 से 9019 किलोमीटर दूरी की यात्राएं जिनका मन्दिर कार्यों से सम्बन्ध न होना	
25	42	विज्ञापनों पर राशि का अनियमित व्यय करना	₹74.18

(iv) गत अंकेक्षणः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः लम्बित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु शीध्र उचित पग उठाए जाऐं। गत अवधि के अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर माता चिन्तपूर्णी जिला ऊना के लेखाओं अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 11.3.2013 से 3.8.2013 के दौरान किया गया। उक्त अंकेक्षण दल के साथ श्री संजीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा भी दिनांक 3.6.13 से 3.8. 2013 के दौरान अंकेक्षण किया गया। आय की विस्तृत जॉच हेतु मास 8/2010, 8/2011 तथा 4/2012 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास 7/2010, 7/2011 तथा 7/2012 के लेखाओं का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the Temple. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee."

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर माता श्री चिन्तपूर्णी के अवधि 1/10 से 12/12 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹134900/– आंका गया। मन्दिर अधिकारी माता श्री चिन्तपूर्णी को अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के पक्ष में प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136/2013 दिनॉक 12.8.2013 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(i) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट "i"** पर भी दिया गया है।

Receipts

Year	**2010**	**2011**	**2012**
Opening Balance	342186130.68	404201463.38	507576422.45
Offering to Diety Cash	148977213.00	185421754.00	244229162.00
Instt. Received & accured on deposits	15014455.00	30586459.36	53649252.00
Other Income	14971924.00	15563793.71	19306423.71
Grand Total	521149722.68	635773470.45	824761260.16
Expenditure during the year	116948259.30	128197048.00	172776615.00
Closing Balance	404201463.38	507576422.45	651984645.16

(ii) अन्तशेष का विवरणः–

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.2012 को अन्तशेष ₹651984645.16 था तथा दिनांक 31.12.2012 को बैंक/डाकघर के बचत खातों में जमा राशि, सावधि जमा योजना के अन्तर्गत बैंकों में जमा राशि तथा हस्तगत राशि का अन्तशेष निम्नविवरणानुसार ₹654933114.36 था।

1	बैंक/डाकघर बचत खाते में जमा राशि **परिशिष्ट "i" (A)**	49562001.36
2	सावधि जमा खाते में निवेश **परिशिष्ट "i" (B)**	605192029.00
3	हस्तगत राशि	179084.00
		654933114.36

(iii) बैंक समाधान विवरणीः–

उक्त विवरणानुसार दिनांक 31.12.2012 को बैंक के अन्तशेष तथा रोकड़ वही के अन्तशेष में ₹654933114.36–₹651984645.16=₹2948469.20 का अन्तर पाया जिनका विवरण **परिशिष्ट "i" (C)** के साथ संलग्न बैंक समाधान विवरणी में दिया गया है।

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डाकघर के बचत खाता संख्या 276613 में मास 5/2006 से ₹37547.05 जमा थी परन्तु उक्त खाते पर ब्याज नहीं लगाया गया है। अतः ब्याज का मामला डाकघर से उठाया जाए तथा ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में:–

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दिनांक 31.3.12 तक ₹605192029/– विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "i" (B)** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाया जाना अथवा पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सावधि जमाओं पर स्त्रोत पर आयकर ₹3204420/– की कटौती करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्राप्त चढ़ावे की राशि को विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया जा रहा है परन्तु **परिशिष्ट " i " (D)** पर दिए गए विवरणानुसार बैंकों द्वारा विभिन्न सावधि जमाओं पर परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि को पुर्ननिवेशित किया गया है। इस बारे स्पष्टीकरण देने/सूचना उपलब्ध करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 76/2013 दिनांक 23.4.2013 द्वारा अनुरोध किया गया था। मन्दिर अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 2537/13 दिनांक 31.7.2013 द्वारा सावधि जमाओं पर स्त्रोत पर काटे गए आयकर से सम्बन्धित जो सूची उपलब्ध करवाई गई है वह आडिट मैमों में दर्शाई गई सावधि जमाओं के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी को नियमानुसार आयकर विभाग से कर की छूट भी मिली है। अतः अनियमित रूप से काटे गए आयकर की ₹3204420/– बारे मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

6 गत तीन वर्षों में प्राप्त आयः–

(i) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से आय अर्जित की गई।

क्र0सं0	वर्ष	आय (ब्याज सहित)
1	2010	178963592
2	2011	231572007
3	2012	317184837

(ii) आय की अनुपातिका के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर किया गया व्ययः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा पर दर्शाए गए विवरणानुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर आय की अनुपातिका के अनुसार किया गया व्यय निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "i" (E)** पर भी दिया गया है जिनसे यह प्रतीत होता है कि आय की अनुपातिका के अनुसार इन मदों पर लगभग 12**%** से 15**%** तक प्रतिवर्ष व्यय किया गया है।

क्र0सं0	वर्ष	शुद्ध आय/प्राप्ति	भुगतान राशि	प्रतिशतता
1	2010	178963592	26091664	14.58%
2	2011	231572007	218914657	12.48%
3	2012	317184837	36409766	11.48%

(iii) गत तीन वर्षों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त आय तथा किये गए व्यय एवं स्थाई सम्पत्तियों में निवेश की तुलनात्मक विवरणीः–

(1) आयः–

क्र0सं0	शीर्ष	2010	2011	2012
1	दानपात्र	148977213	185421754	244229162
2	विकास	1615923	1791971.71	2829253.38
3	लंगर	5873292	7698602	8905011
4	यात्री भवन	119525	99375	162350
5	बचत पर ब्याज	1365941	2951437.36	1660246

6	बकरों की नीलामी	151120	163825	207915
7	भण्डार की नीलामी	164862	47089	77246
8	सावधि पर ब्याज	13648514	27635022	51989006
9	अग्रिम	1698785	624410	2883625
10	विदेशी मुद्रा	2911292	3815714	3525410.33
11	एम्बूलेंस	7100	8140	8540
12	प्रतिभूति राशि	160334	19522	19229
13	धरोहर राशि	1200	9360	34300
14	निविदा फार्म	150	3155	19300
15	लंगर प्रतिभूति	554000	709000	464000
16	ऊधार वापिसी	690000	—	—
17	वसूली	19841	—	8100
18	विविध आय	4500	—	8800
19	पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश	1000000	—	—
20	आर0टी0आई0	—	2752	2537
21	मन्दिर की मुरम्मत एवं रख रखाव	—	202020	—
22	दान वापिसी	—	114858	132000
23	यात्री भवन प्रतिभूति	—	4000	18000
24	वाहन नीलामी	—	250000	—
25	गऊशाला	—	—	807

2 व्ययः—

क्र0 सं0	**शीर्ष**	**2010**	**2011**	**2012**
1	दूरभाष व्यय	87546	45734	46199
2	स्टेशनरी	200869	172521	306775
3	बिजली	1343141	1400883	1535653
4	सफाई एवं स्वास्थ्य	1322250	1555896	2012785
5	मानदेय	2083772	2489763	3293482
6	लंगर	3358180	4086642	5050998
7	विविध	83839	39015	8350

8	वेतन/मजदूरी	12962041	12816699	16002566
9	भवन किराया	30870	525355	541405
10	वाहन मुरम्मत एवं रख रखाव	753989	787265	919060
11	विज्ञापन	2479756	2688990	2260012
12	स्ट्रीट लाईट	925937	950928	1531396
13	बैंक प्रभार	3353	7050	5872
14	यात्री भवन	27986	14215	44968
15	वेतन (होमगार्ड)	4218350	4577396	5980094
16	अंकेक्षण शुल्क	111720	103308	47698
17	मन्दिर परिक्षेत्र रख रखाव	14960256	8093992	5832677
18	जनरेटर की मुरम्मत एवं रख रखाव	72192	72626	106677
19	अग्रिम	206000	779410	4297625
20	जल प्रभार	17400	11680	14112
21	कम्पयूटर मुरम्मत एवं रख रखाव	13141	13550	4450
22	कानूनी प्रभार	12000	14000	2500
23	मेला प्रबन्धन	4542685	5616562	6633334
24	पुजारी शेयर	41600367	54873679	82488608
25	वर्दियॉ	1161001	59447	17894
26	दान	541116	1201491	5805667
27	एच0पी0 एक्स सर्विस मैन कारपोरेशन (वेतन)	4096001	5782699	7142202
28	शू रैक (मजदूरी)	84000	84000	84000
29	चारकोल	70000	—	108000
30	मास्टर प्लान	1972517	10552	—
31	विद्युत उपकरण	171160	104948	123230
32	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	64180	52306	74344
33	अर्जित अवकाश भुगतान	619820	35011	135859
34	विकास कार्य	—	604200	—
35	सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़	781000	795550	960000
36	गरीब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान/सहायता	3005100	5610100	4000000
37	उत्सव उपहार	180250	319000	900

38	रैडक्रास ऊना	900000	600000	700000
39	प्रतिभूति	1200	2060	5000
40	मोबाईल रिचार्ज	81363	79484	66124
41	योग तथा प्रसाद	3240	18720	36335
42	मूमैन्टो	33500	92600	8500
43	डाकटिकट	8000	13000	8000
44	लिफट की मुरम्मत एवं रख रखाव	59595	65480	—
45	मुख्यमन्त्री राहत कोष	3200000	3100000	3100000
46	क्षतिपूर्ति भुगतान (कर्मचारी)	545000	1105000	1295000
47	यात्रा भत्ता दावा	2312	—	7512
48	सोना चांदी	2550	2850	—
49	ग्रैच्युटी	—	180887	472534
50	हवन	10153	—	—
51	अखबार	16616	8394	12060
52	शिक्षा	103625	204122	316000
53	लंगर प्रतिभूति	474000	654000	418000
54	सोम भद्रा उत्सव ऊना	300000	300000	300000
55	दान	1667680	1115090	3658920
56	रास्ते का निर्माण (अनुदान)	120328	—	—
57	केबल नैटवर्क	—	10800	10800
58	उपायुक्त ऊना (गारवेज मैनेजमैन्ट रिफन्ड)	—	1000000	—
59	क्राकरी	—	23218	—
60	संविदाकार प्रतिभूति	19412	23566	182535
61	यात्री भवन प्रतिभूति	—	6000	12000
62	उपमण्डलाधिकारी अम्ब को उधार / अग्रिम	—	—	675900

(3) स्थाई सम्पतिः—

क्र0सं0	**शीर्ष**	**2010**	**2011**	**2012**
1	गऊशाला	3492867	1616022	317290
2	सी0सी0टी0वी0	48004	601942	160213
3	साऊंड सिस्टम	73226	50750	—

4	फर्नीचर / बैंच	337827	88100	—
5	मोबाईल फोन	—	—	40000
6	कम्पयूटर	92700	43500	—
7	शैड	632878	—	—
8	साईन बोर्ड	31824	—	—
9	वाहन / फायर टैन्डर	1502475	795000	3554500
10	दर्शन पर्ची मशीन	69000	—	—

7 सोना तथा चान्दी का विवरणः—

(क) सोनाः— मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी का अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 के दौरान सोने का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

1.1.2010 से 31.12.2010

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
गत शेष	1	38	734	019
प्राप्ति	—	08	197	510
कुल योग	1	46	931	529

1.1.2011 से 31.12.2011

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
गत शेष	1	46	931	529
प्राप्ति	—	07	914	908
कुल योग	1	54	846	437

1.1.2012 से 31.12.2012

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
गत शेष	1	54	846	437
प्राप्ति	—	07	541	422
कुल योग	1	62	387	859

दिनांक 31.12.2012 को सोने के अन्तिम शेष का विवरण

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	1	59	097	859
माता के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त सोना	–	3	290	–
योग	**1**	**62**	**387**	**859**

(ख) अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012 के दौरान प्राप्त सोने की जॉच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ii"** पर दिए गए विवरणानुसार 32 ग्राम 320 मि0ग्रा0 सोने की मात्रा अधिक दर्ज की गई थी। अतः अधिक दर्ज की सोने की मात्रा की संस्था स्तर पर विस्तृत जॉच करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई भी अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) चांदीः– मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी का अवधि 1.1.2010 से 31. 12.2010 के दौरान चांदी का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.1.2010 से 31.12.2010

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
गत शेष	47	20	796	330
प्राप्ति	3	66	605	960
कुल योग	50	87	402	290

1.1.2011 से 31.12.2011

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
गत शेष	50	87	402	290
प्राप्ति	03	03	014	480
कुल योग	53	90	416	770

1.1.2012 से 31.12.2012

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
गत शेष	53	90	416	770
प्राप्ति	02	59	384	500
कुल योग	56	49	801	270

दिनांक 31.12.2012 को चांदी का अन्तशेष का विवरण

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	55	57	894	270
माता जी के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त	—	50	990	000
वर्ष 2006 तक प्राप्त चांदी को पिघलाने के उपरान्त प्राप्त व्यर्थ पदार्थ जोकि राजकीय अम्ब में जमा है	—	40	917	000
योग	**56**	**49**	**801**	**270**

(घ) अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012 के दौरान प्राप्त चांदी की जॉच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "iii"** पर लगाए गए विवरणानुसार 2 कि0ग्रा0 790 ग्रा0 चांदी की मात्रा कम दर्ज की गई थी। अतः कम दर्ज गई चांदी की मात्रा की संस्था स्तर पर विस्तृत जॉच वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई भी अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 बजटः—

अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा स्वीकृत बजट एवं किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	**स्वीकृति बजट**	**वास्तविक व्यय**	**अन्तर**
2010	122527500	116948259	5579241
2011	193393000	128197048	65195952
2012	274400700	172776615	101624085

9 स्थापनाः–

(क) अंकेक्षण द्वारा जारी ऑडिट मैमों संख्या 51/2013 दिनांक 18.3.2013 के सन्दर्भ में मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 1567/13 दिनांक 10.4.2013 के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाई गई है जोकि **परिशिष्ट "iv"** पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी के आदेशों की प्रति जिसके माध्यम से कार्यरत्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत की गई है अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा चालक का एक पद स्वीकृत संख्या से अधिक भरा गया है जिसके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–1/2009 दिनांक 26.8.2009 के अनुसार संशोधित वेतनमान दिया गया है परन्तु उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि का निर्धारण हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–1/2009 दिनांक 10.9.2009 के अनुरूप न करके **परिशिष्ट "v"** पर दिए गए विवरणों के अनुसार करके सम्बन्धित कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया गया। अतः इन कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की गणना संस्था स्त्तर पर करके अपेक्षित वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(ग) आयुक्त (मन्दिर) के कार्यालय आदेश संख्या 246/पी0ए0डी0पी0 ऊना दिनांक 4.6.1999 द्वारा श्री बिहारी लाल तथा कार्यालय आदेश संख्या 1273/2000 दिनांक 30.11.2000 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह सेवादार को दिनांक 9.10.2000 से सेवादार तकनीकी के पद पर वेतनमान 2620–4140 में नियमित किया गया, तदानुसार श्री बिहारी लाल ने दिनांक 18.6.1999 को तथा श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 9.10.2000 को सेवादार तकनीकी के पद पर कार्य ग्रहण किया। तत्पश्चात आयुक्त (मन्दिर) के कार्यालय आदेश संख्या 521–524 दिनांक 8.6.2007 द्वारा इन दोनों सेवादारों को इलैक्ट्रिशियन के पद पर वेतनमान 3120–5160 में प्रतिस्थापित किया गया तथा उन्हें इलैक्ट्रीशियन के पद पर वही मूल वेतन दिया गया जो वह सेवादार तकनीकी के पद पर आहरित कर रहे थे परन्तु आयुक्त (मन्दिर) के कार्यालय आदेश संख्या 19 दिनांक 7.1.2010 द्वारा श्री बिहारी लाल को दिनांक 18.6.1999 से ही तथा कार्यालय आदेश संख्या 26 दिनांक 7.1.2010 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह को दिनांक 9.10.2000 से ही इलैक्ट्रीशियन के पद का वेतनमान 3120–5160 देकर **परिशिष्ट "vi"** पर दिए गए विवरणानुसार उनका वेतन निर्धारित

करके उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाया गया है, जिसके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करके अपेक्षित वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाए।

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों की जॉच करने पर पाया गया कि जो कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की अवधि में अर्जित अवकाश पर थे उन्हें भी वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ उनके कार्यग्रहण करने की तिथि की अपेक्षा प्रथम तिथि से ही जारी कर दिया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "vii"** पर दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके मन्दिर की निधि में जमा करवाई जाए क्योंकि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (22)–ई–III (ए)/73 दिनांक 5.4.1974 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार " An employee during leave draws leave salary and not duty pay. An increment accuring during leave cannot, therefore, be drawn during leave. The increment in such cases will be drawn from the date of resumption of duty on return from leave."

(ङ) अंकेक्षण अवधि 1/2010 से 12/2012 के दौरान मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के नियमित कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन भुगतान पंजिका (ई0सी0आर0) का रख रखाव मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धिया, महँगाई भत्ते तथा अन्य भत्तो के रूप में प्रतिमाह किए गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सुझाव दिया जाता कि अपेक्षित पंजिकाओं को अविलम्ब तैयार किया जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन/भत्तों की राशियों की प्रविष्टियां वेतन पंजिका में की जानी सुनिश्चित की जाएँ ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमित अदायगी से बचा जा सके।

(च) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों तथा जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवा के दौरान हुई है उन्हें ग्रैच्युटी के अतिरिक्त अनियमित रूप से क्षतिपूर्ति (Compensation) का भी भुगतान किया गया है।

10 मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दी गई अग्रिम ₹2328900/– का समायोजन न करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागों एवं फर्मों को जारी किए गए अग्रिमों तथा उसमें समायोजित राशियों का विवरण

परिशिष्ट "Viii" पर संलग्न है जिसके अनुसार अग्रिमों की ₹2328900/– समायोजित हेतु शेष थी। उपरोक्त असमायोजित राशियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियॉ अपेक्षित है।

(i) श्री जोगिन्द्र पाल वरिष्ठ सहायक से ₹8000/– (5000+3000) असमायोजित अग्रिम की वसूली रसीद 282/053 दिनांक 23.7.2013 द्वारा करने बारे पुष्टि कर ली गई है।

(ii) श्री अवनीश कुमार शर्मा मन्दिर अधिकारी द्वारा 12.10.2009 से 21.10.2011 के दौरान ₹80000/– बतौर अग्रिम ली गई है। श्री अश्वनी कुमार शर्मा का तबादला हो चुका है तथा इस अग्रिम राशि का समायोजन अभी तक नहीं किया गया है। इस बारे मामला ऑडिट मैमों संख्या 123/2013 दिनांक 4.7.2013 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यान में लाया गया है परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(iii) दिनांक 5.12.2012 को उप मण्डलाधिकारी अम्ब के कार्यालय के बिजली के बिलों का भुगतान करने हेतु ₹675900/– का भुगतान किया गया परन्तु यह राशि अभी तक उपमण्डलाधिकारी अम्ब द्वारा वापिस नहीं की गई है। इस बारे मामला मन्दिर प्रबन्धन समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है।

(iv) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी ने दिनांक 29.3.2012 को मैम्बर सैक्रेटरी सोसाईटी फॉर मैनेजमैट ऑफ मैडिकल एम्बुलेंस कोएक एम्बुलैंस 108 का क्रय करने हेतु ₹1500000/– भुगतान की है जिसका अभी तक समायोजन नहीं किया गया है। इस बारे में मामला मन्दिर प्रबन्ध समिति के ध्यान में आवश्यक कार्रवई हेतु लाया जाता है।

11 आय की गणना के रजिस्टर में ₹451000/– का कम लिया जानाः–

अंकेक्षण की दौरान पाया गया कि मन्दिर समिति द्वारा गणना रजिस्टर में निम्नविवरणानुसार ₹451000/– कम ली गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

(i) गणना रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 13375 पर दिनांक 12.8.2010 को ₹1000 के Denomination के 421 नोट प्राप्त किए गए जिनकी गणना की ₹421000/–बनती है परन्तु गणना में इन नोटों की ₹42000 ली गई है इस प्रकार ₹379000 (421000–42000) गणना में कम ली गई जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) गणना रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 13380 पर दिनांक 17.8.2010 को ₹1000 Denomination के 170 नोट प्राप्त किए गए परन्तु इन नोटों की संख्या को अधोलिखित (overwrite) करके 170 नोट के स्थान पर 100 नोट कर दिए गए तथा गणना में ₹100000 (1000X100) ली गई जबकि यह ₹170000 (170X1000) बनती थी। इस प्रकार गणना में ₹70000 (₹170000–₹100000) कम ली गई जिनकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(iii) गणना रजिस्टर पृष्ठ संख्या 12850 पर दिनांक 23.11.2011 को ₹128000 के बजाए गणना ₹126000 ली गई है। इस प्रकार में ₹2000 कम ली गई जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

अतः कम ली गई राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके मन्दिर कोष में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 पुजारी शेयर के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) चढ़ावे के रूप से प्राप्त आय में से व्यय को कम न करने के पुजारी शेयर का ₹4010907/–का अधिक भुगतान करनाः–

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेश संख्या CWPS No. 603 of 2003 तथा 257 of 2004 दिनांक 11.5.2005 के अनुसार बारीदारों, पुजारियों के शेयर के सन्दर्भ में निम्न विवरणानुसार निर्णय लिया गया थाः–

"We have also taken note of the request of the State Govt. in the affidavit of the Chief Secretary with respect to permitting the State Government to deduct the administrative expenditure i.e. Puja Archana, Langer, Dispensary and Maintainance Expenditutre of the Temple Premises before releasing the share to Baridass/Pujasis from the offering received from the main " Danpatra" and other "Golkas" placed in temple premises. Being Prima facie satisfied that indeed the above said administrative expenditure should be borne from the aforesaid offerings, by way of intrim order, We direct that hence forth Temple Managemenrt/State Government/Temple Commissioner shall deduct the administrative expenditure out of the aforesaid offerings."

परन्तु अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2012 के दौरान जॉच में पाया गया कि **परिशिष्ट "ix"** पर दर्शाए गए विवरणानुसार चढ़ावे की आय में से उक्त व्यय की कटौती किए बिना ही पुजारी शेयर ₹4010907/– का अधिक भुगतान कर दिया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय क आदेशों की अवहेलना हैं । अतः उक्त अधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ख) गलत गणना के कारण पुजारी शेयर के रूप में ₹98493/– का अधिक भुगतान करनाः–

पुजारियों को किए भुगतान की जॉच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "x"** पर दिए गए विवरण के अनुसार गलत गणना करने के कारण पुजारी शेयरों का ₹98493/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) पुजारियों/बारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की न मॉगी गई ₹14925414/— को सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखनाः—

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट "xi"** पर संलग्न है, के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि 1/2010 से 12/2012 के दौरान बारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की ₹14925414/— नही मॉगी नहीं थी, जिसे मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा बैंक के चालू खाते में रखा जा रहा है। बैंक के नियमानुसार उक्त खाते पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार चालू खाते में राशि रखने पर ब्याज की हानि उठानी पड़ी। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि उक्त खाते में पड़ी राशि को पूर्व वर्षों की भांन्ति सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया जाए जिससे उक्त खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार माननीय न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना में पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न मांगी गई कुछ राशियों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में भी निम्न प्रकार से निवेश किया गया है। यह मामले अभी माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है तथा निर्णय आने पर इन सावधि योजना में जमा राशि तथा उन पर प्राप्त होने से ब्याज की राशि के बारे में तदानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	सावधि जमा सं0	अवधि	राशि	ब्याज दर	ब्याज	परिपक्वता
(i)	31043293064	2.2.2010 से 2.2.2011	1544631	6%	94784	1639415
		2.2.2011 से 2.2.2012	1639415	7%	117560	1756975
		2.2.2012 से 2.2.2013	1756975	9.25%	168245	1925220
(ii)	31400364021	9.9.2010 से 9.9.2011	363333	6.75%	25153	388486
		9.9.2011 से 9.9.2012	388486	9.25%	30780	419266
		9.9.2012 से 9.9.2013	419266	8.25%	36790	456056
(iii)	30991422578	15.12.2010 से 15.12. 2011	128802	6%	8523	137325

		15.12.2011 से 15.12. 2012	137325	9.25%	13150	150475
		15.12.2012 से 15.12. 2013	150475	8.50%	13204	163679
(iv)	3099142491	15.12.2009 से 15.12. 2010	863923	6%	53013	916936
		15.12.2010 से 15.12. 2011	916936	6%	60677	977613
		15.12.2011 से 15.12. 2012	977613	9.25%	93615	1071228
		15.12.2012 से 15.12. 2013	1071228	8.50%	93998	1165226
(v)	31400368491	9.9.2010 से 9.9.2011	325905	6.75%	22562	348467
		9.9.2011 से 9.9.2012	348467	9.25%	27609	376076
		9.9.2012 से 9.9.2013	376076	8.50%	33000	409076
(vi)	31400379656	9.9.2010 से 9.9.2011	72423	6.75%	5014	77437
		9.9.2011 से 9.9.2012	77437	9.25%	6134	85571
		9.9.2012 से 9.9.2013	83571	8.50%	7333	90904
(vii)	31977159403	8.10.2011 से 8.10.	556916	9.25%	47671	604587

		2012				
		8.10.2012 से 8.10. 2013	604587	8.25%	53051	657638
(viii)	31977160112	8.10.2011 से 8.10. 2012	77349	9.25%	6621	83970
		8.10.2012 से 8.10. 2013	83970	8.50%	7368	91338
(ix)	31977152838	8.10.2011 से 8.10. 2012	348072	9.25%	—	258634
		8.10.2012 से 8.10. 2013	258634	8.50%	22495	281329
(x)	32173559893	3.2.2012 से 3.2.2013	796654	9.25%	76286	872940
(xi)	32173557727	3.2.2012 से 3.2.2013	110645	9.25%	10595	121240
(xii)	32173557160	3.2.2012 से 3.2.2013	497908	9.25%	47679	54587
				योग	**1182910**	

नोटः– उपरोक्त विवरण के **क्र0सं0** (ix) के अनुसार सावधि जमा संख्या 31977152838 में अवधि 8.10.2011 से 8.10.2012 के लिए ₹348072 9.25% की दर से निवेशित की गई थी जिसकी परिपक्वता राशि ₹381403/– थी परन्तु इस सावधि जमा में परिपक्वता पर ₹258634/– ही प्राप्त की गई जिसे अवधि 8.10.'2012 से 8.10.2013 तक पुनः निवेशित किया गया। इस सन्दर्भ में मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार बैंक द्वारा अवधि 8.10.2011 से 8.10.2012 तक निवेशित सावधि जमा पर गलती से आयकर कटौती

₹122769/– (381403–258634) कर ली गई है। अतः इस बारे मामला बैंक से उठाया जाए तथा कटौती की गई राशि को पुनः सावधि जमा में निवेशित किया जाए।

(घ) पुजारी शेयर की रोकड़ वही का निर्माण न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा पुजारियों/बारीदारों को देय उनके त्रैमासिक हिस्से को मुख्य रोकड़ वही से एक मुश्त निकालकर चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जॉच में पाया गया कि उक्त की गई हस्तांतरित राशि का लेखा जोखा रखने के लिए अलग से रोकड़ वही/खाता वही का निर्माण नहीं किया जा रहा है जिससे कि पुजारी/बारीदारों को हिस्से हेतु प्राप्त आय व उनके आगामी वितरण हेतु राशि की जांच नहीं की जा सकी यद्यपि 31.12.2012 तक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया चिन्तपूर्णी के चालू खाता संख्या 11283610104 मे ₹16168430 शेष थी जिसका मिलान नहीं किया जा सका। अंकेक्षण द्वारा पूर्व में भी इस मामले बारे आपत्ति उठाई जाती रही है। अतः इस बारे विशेष ध्यान दिए जाने तथा अपेक्षित रोकड़ वही का निर्माण शीध्र किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

13 पंचायत प्रधानों तथा अन्य विभागों को किए गए भुगतानों के बारे मेंः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में पंचायत प्रधानों को किए गए भुगतानों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में मन्दिर प्रबन्ध व्यवस्था बारे दिनांक 2.8.2008 को आयोजित बैठक की प्रोसिंडिंग की मद संख्या 8 के अनुपालना में निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्या भासनि–14/97–मन्दिर–7–16121 दिनांक 22.8.2008 के अनुसार "मन्दिर द्वारा जा भी कार्य करवाए जाने हो, वे सभी मास्टर प्लान में शामिल होने चाहिए "। उपरोक्त के अतिरिक्त माननीस उच्च न्यायालय शिमला द्वारा CWP No. 603/2003 तथा 257/2004 के मामले में दिनांक 23.4.2008 को दिए गए निर्णय के अनुसार "In both the writ petitions similar order in being passed. We have been informed by the leaved Advocate General that they are sticking to the plan submitted before the court. It is a healthy sign and We hope and trust that confidence report upon the State will no be shattered for times to come and State would stick to the plan."

परन्तु **परिशिष्ट "xii"** पर दर्शाए गए विवरणानुसार पंचायत प्रधानों को विभिन्न कार्य करवाने हेतु निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया तथा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि यह कार्य मास्टर प्लान में शामिल नहीं थे। अतः मास्टर प्लान में कार्यों के सम्मिलित न होने के बावजूद भी इन कार्यों हेतु भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किए गए भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

वर्ष	मोईन पंचायत	नारी पंचायत	छपरोह पंचायत	योग
2010	5091563	1447452	1835620	8374635
2011	486135	438227	1409482	2333844
2012	829095	1833253	2015235	4677583
	6406793	**3718932**	**5260337**	**15386062**

इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन द्वारा निम्नानुसार विभिन्न विभागों को अनुदान जारी किए गए थे परन्तु यह अनुदान "मास्टर प्लान" की अवहेलना करते हुए अन्यत्र कार्यों पर व्यय किए गए। अतः इन पर अंकुश लगाया जाए तथा मन्दिर निधि का व्यय "मास्टर प्लान" के अनुसार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मास	विभाग का नाम	राशि
3/2010	आई0आर0बी0 बनगढ़	150000
4/2010	सोम भद्रा उपायुक्त ऊना	300000
3/2011	एसी0पी0 ऊना	142050
4/2011	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	55000
5/2011	Distt. Youth Co-ordinator	12040
5/2011	कमाडैंट होमगार्ड ऊना	60000
7/2011	निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग	25000
9/2011	जिला एटोर्नी ऊना	16000
		760090

(ख) अंकेक्षण के दौरान जॉच में यह भी पाया गया कि पंचायत प्रधानों को जो ₹15386062 का भुगतान किया गया है तथा अन्य विभागों को जो ₹760090 का अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है उसमें अधिकतर भुगतान ₹50000/– से अधिक का है तथा इन्हें आयुक्त

(मन्दिर) द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृत कर दिया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 4 (5) के अनुसार, आयुक्त (मन्दिर) प्रत्येक स्कीम में पचास हजार की राशि के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते है और जिन स्कीमों में पचास हजार रूपये से अधिक का व्यय शामिल है उन्हें मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निदेशक भाषा एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश शिमला–9 ने पत्र संख्या भासनि–14/97–मन्दिर–7–16/21 दिनांक 22.8.2008 द्वारा भी यह निर्देशित किया है कि ₹50000/– से अधिक के कार्यों की स्वीकृति मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से ली जानी है। अतः ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किए गए व्यय का नियमितकरण करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा पंचायत प्रधानों को भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है जिन्हें सम्बन्धित पंचायत प्रधानों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से सत्यापित करवाने के उपरान्त अविलम्ब प्राप्त किया जाए।

(घ) वाऊचर संख्या 628 माह 7/2012 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट को निर्माण कार्य "लिंक रोड खडड से सुरजीत सिंह हाऊस जी0पी0 गंगोट" के लिए प्रस्तुत अनुमान के आधार पर भुगतान किया गया। इस निर्माण के (Estimate) अनुमान के निम्नानुसार निर्माण कार्य की मदें निष्पादित होनी दर्शाई गई थी तथा इसी अनुमान के आधार पर उन्हें निर्माण कार्य करने के लिए राशि जारी की गई थीः–

क्र0 सं0	मद का नाम	लं0x	चौ0 x	गहराई	मात्रा	दर	राशि
1	Boulder filling in dry hand pack	170	3	0.12	61.20 व0मी0	797.35	48797
2	C.C. 1:6:12	170	3	0.10	51 घन मी0	1942.33	99059
3	C.c. 1:2:4	170	3	0.07	35.70 घन मी0	3165.90	113022
						योग	**260878**
	नोटः– उपरोक्त मदों में अन्य मदों का भुगतान शामिल नहीं है			कम 10**%** संविदाकार का लाभ			26088
				राशि			234790

				एच0पी0एस0आर0 पर 20**%** की दर से वृद्धि	46958
				योग	281748

उक्त निर्माण क्रय में मद संख्या 1 पर वर्णित "boulder filling in dry hand pack" का भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि सामान्यतः लिंक रोड पर "boulder filling" का कार्य नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य भी स्पष्ट किए जाएं।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निम्नविवरणानुसार प्रधानों को निर्माण कार्य करवाने के लिए उनके द्वारा सौंपे गए अनुमानों के आधार पर राशि का भुगतान किया गया तथा यह अनुमान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "Schedule of Rates 2010" के आधार पर तैयार किए गए थे। अनुमानों की जॉच करने पर पाया गया कि जिन निर्माण मदों की दरों में वर्ष 2012 में वृद्धि हुई थी उनकी वृद्धि तो योग में ले ली गई परन्तु जिन मदों की दरों में कमी हुई थी उन्हें अनुमान राशि में से न घटाने के कारण प्रधानों को निम्नविवरणानुसार ₹14979/– का अधिक भुगतान किया गया क्योंकि सीमेन्ट की दर Schedule 2010 में ₹245/– ली गई थी परन्तु प्रधानों द्वारा वर्ष 2012 में सीमेन्ट कम दर पर क्रय किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वा0सं0	**मास**	**ग्राम पंचायत**	**मद**	**मात्रा**	**क्रय दर**	**Schedule Rate**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान**
620	7/2012	छपरोह	सीमेन्ट	121	221.96	245	23.04	2788
622	7/2012	छपरोह	सीमेन्ट	343	221.96	245	23.04	7903
621	7/2012	छपरोह	सीमेन्ट	150	221.96	245	23.04	3456
631	7/2012	नारी	(i)सीमेन्ट	100	238.12	245	6.88	688
			(ii)सीमेन्ट	50	242.12	245	2.88	144
								14979

(च) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की दिनांक 22.8.2009 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 में निर्णय लिया गया कि " प्रधान अपने स्तर पर जो भी कार्य करवाएंगे और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने विभाग से प्राप्त करके मन्दिर कार्यालय में पेश करेंगे तथा उनके कार्य के प्रर्यवेक्षण हेतु एक उपसमिति का चयन भी किया गया जिसके सदस्य निम्न प्रकार हैः–

(i) सहायक अभियन्ता मन्दिर

(ii) श्री मनोहर कालिया

(iii) श्री कैलाश चन्द्र कालिया

(iv) श्री केदार नाथ कालिया

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा न तो प्रधानों को जारी की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए और न ही पर्यवेक्षण हेतु गठित उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 64/2013 दिनांक 30.3.2013 द्वारा भी इस बारे सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

14 मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा निक्षेप कार्य (डिपाजिट वर्क) करवाने के लिए अदा की गई ₹13463336/— के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः—

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा **परिशिष्ट "xiii"** पर दिए गए विवरणानुसार विभिन्न विभागों को जमा/निक्षेत्र कार्य करवाने हेतु ₹13463336/— का भुगतान किया गया है, परन्तु डिपोजिट कार्य करवाने हेतु अदा की गई उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नहीं किए गए है जिन्हें सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

15 श्री जोगिन्द्र सिंह सेवादार लांगरी के आश्रितों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में ₹36898/— का अधिक भुगतान करनाः—

श्री जोगिन्द्र सिंह सेवादार लांगरी की सेवा पुस्तिका की जॉच करने पर पाया गया कि उनकी मृत्यु दिनांक 9.1.2013 को हुई थी और उनके परिवार के सदस्यों को वाऊचर संख्या 2002 दिनांक 22.2.2013 द्वारा 134 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया परन्तु श्री जोगिन्द्र सिंह अपनी सेवा के दौरान ही 228 अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान ले चुके थी। अतः उनके आश्रितों को 300—228=72 दिनों का ही शेष अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि उनके आश्रितों को 134 दिनों का अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया गया। इस प्रकार श्री जोगिन्द्र सिंह सेवादार लांगरी के परिवार के सदस्यों को 134—72= 62 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण का ₹36898/— का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करने हेतु मन्दिर अधिकारी को

ऑडिट मैमों संख्या 83/2013 दिनांक 27.4.2013 द्वारा भी अनुरोध किया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया। अतः अपेक्षित वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 माता चिन्तपूर्णी मन्दिर के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में ₹619820 का अनियमित भुगतान करनाः—

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर के कर्मचारियों को संलग्न **परिशिष्ट "xiv"** पर दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹619820/— का अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान समय—समय पर किया गया। मन्दिर के कर्मचारियों को निहित प्रावधानों में अर्जित अवकाश के नगदीकरण के भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु फिर भी मन्दिर समिति द्वारा अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जा रहा है। अतः अनयमित रूप से की गई अदायगियों को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल किया जाए अन्यथा प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग से इसका नियमितिकरण करवाया जाए तथा भविष्य मं इस प्रकार की अनियमित अदायगियों पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जाए। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में अपने प्रशासनिक विभाग से भी उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए ताकि समस्त मन्दिरों में इस प्रकार की अदायगियों में समरूपता बनी रहे।

17 सेवानिवृत कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2975000 का अनियमित भुगतान करनाः—

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्ण द्वारा अपने सेवा निवृत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त **परिशिष्ट "xv"** पर दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹2975000/— का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में भी भुगतान किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः नियमों के विरूद्ध किए गए भुगतान की वसूली शीध्र की जाए।

18 श्री रमेश चन्द ड्राईवर को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹4615/— का अनियमित भुगतान करने बारेः—

आयुक्त (मन्दिर) माता श्री चिन्तपूर्णी के आदेश संख्या 506 से 510 दिनांक 8.6.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबन्धन समिति मन्दिर माता श्री चिन्तपूर्णी के कर्मचारियों को निर्धारित दरों पर चिकित्सा भत्ते का भुगतान केवल इनडोर पैशन्ट को ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार श्री रमेश चन्द ड्राईवर को

₹4615/– का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में भुगतान किया गया परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के साथ संलग्न अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या श्री रमेश चन्द्र ड्राईवर का यह भुगतान Indoor Patient के रूप में किया गया है अथवा नहीं क्योंकि उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के साथ Discharge Slip संलग्न नहीं थी। अतः इस सन्दर्भ में या तो "Discharge slip" चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ लगाई जाए ताकि यह पता लग सके उक्त कर्मचारी को यह भुगतान Indoor Patient के रूप में ही किया गया है अन्यथा अनियमित रूप से किए गए भुगतान की वसूली करके मन्दिर निधि में राशि जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	मास	राशि
1	544	7/2010	1912
2	706	7/2010	2703
			4615

19 मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा मानदेय का अनियमित रूप में भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा निम्नलिखित मामलों में मन्दिर की निधि में मानदेय का अर्थात अधिनियम रूप में भुगतान किया गया हैः–

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी तथा चपड़ासी को मानदेय के रूप में ₹507997/–का अनियमित भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3 (2) के अनुसार, " The Government may from time to time appoint such officers and staff to assist the commissinor as it may dam fit." उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन के लिए श्री अवनीश कुमार शर्मा को मन्दिर अधिकारी, श्री जुगल किशोर को सहायक मन्दिर अधिकारी तथा शेर सिंह को चपड़ासी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री अवनीश कुमार शर्मा राजस्व विभाग (हि0प्र0) तथा श्री जुगल किशोर एवं शेर सिंह भाषा एवं संस्कृति (हि0प्र0) से सम्बन्धित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी तथा चपड़ासी को वर्ष में लगने वाले मेलों के दौरान वेतन का 50**%** भाग (वेतन+भत्ते) मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर अधिकारी को ₹2000/– की दर से वेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह मानदेय

का भी भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹507997/– का अनियमित भुगतान किया गया है। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा मन्दिर कार्यों का संचालन करने के लिए ही की गई है तथा उनके द्वारा मन्दिर कार्यों के अतिरिक्त कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उनके द्वारा मन्दिर प्रबन्धन को दी गई सेवाऐं मात्र इनकी वैधानिक सेवा legitimate duties का निर्वाहन ही है। अतः निम्नविवरणानुसार मानदेय के रूप में किए गए ₹507997/– के अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए क्योंकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–बी (2) 9/94–1 दिनांक 21.12.2010 में भी यह वर्णित किया गया है "It has come to the notice of the Government that some temple trusts are paying remuneration/honorasium to the Government officers/officials whereas there is no such provision of payment of remuneration/hovorarium in the Himachal Pradesh Hindu Public Religious institutions & charitable Endowments Act 1984. You are, therefore, requested that, if any, remuneration has been/is being paid in contravention of the provisions of Act, iobid (as amended in 2007 & 2010 respectively) it will amount to audit objectiousm therefore timely action for recovery be made from the concerned officers/officials of the Government deputed in the temple trust so as to avoid audit abjections." अतः उक्त पत्र के अनुसार भी उन्हें मानदेय का भुगतान देय नही है।

क्र0सं0	वा0सं0	मास	श्री अवनीश शर्मा (मन्दिर अधिकारी)	श्री जुगल किशोर (स0मं0अ0)	श्री शेर सिंह (चपड़ासी)	कुल योग
1	1409	1/2010	15107	–	7068	22175
2	4	4/2010	15107	–	7068	22175
3	901	9/2010	16544	–	7979	24523
4	1315	10/2010	16544	–	7979	24523
5	1722	1/2011	16544	–	7979	24523
6	1848	2/2011	–	12312	–	12312
7	141	4/2011	17770	13224	7979	38973
8	776	8/2011	19064	14186	8924	42174
9	1205	10/2011	19064	14186	8924	42174
10	1779	1/2012	19064	14186	8924	42174

11	13	4/2012	19948	15294	9622	44864
12	756	7/2012	19948	152987	9622	44864
13	1415	10/2012	22369	17166	11008	50543
14	(अवधि 1/2010 से 12/2012 तक ₹2000 प्रतिमास की दर से 36 मास के लिए मानदेय का भुगतान)		72000	–	–	72000
	योग		**289073**	**115848**	**103076**	**507994**

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिला स्तर तथा उप मण्डल स्तर पर कार्यरत्त अधिकारियों को मानदेय के रूप में ₹86400/– का अनियमित भुगतान करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अवधि 1/2010 से 12/2012 के दौरान जिला स्तर तथा उप मण्डल स्तर के अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को ₹86400/– का मानदेय के रूप में भुगतान किया गया जो कि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–(बी)(2) 9/94–1 दिनांक 21.12.2010 के अनुसार उन्हें देय न है। अतः इसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम एवं कार्यालय	दर (मासिक)	अवधि (मास)	मानदेय राशि
1	श्री कमल नयन (उपायुक्त कार्यालय ऊना)	1600	36	57600
2	डी ए ऊना (सैशन कोर्ट ऊना)	500	36	18000
3	ए0डी0एम0 अम्ब (सब जज कोर्ट अम्ब)	300	36	10800
		योग		**86400**

(ग) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹4691521/– का अनियमित भुगतान करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले मेलों के लिए निम्न भुगतान वाऊचरों के अन्तर्गत ₹4691521/– का मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि मेलों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मन्दिर न्यास की सुरक्षा हेतु पुलिस तथा होमगार्ड,

राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा मन्दिर के लंगर, सफाई हेतु एवं अन्य कार्याजय से सम्बन्धित कार्यों हेतु सैकड़ों अस्थाई (दैनिक दर पर) कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त. मन्दिर के दैनिक चढ़ाने की गिनती/गणना करने के लिए भी जिला भाषा अधिकारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाता है। अतः मन्दिर कर्मचारियों द्वारा इस अवधि के दौरान केवल अपने दैनिक वैधानिक कार्यों का ही निर्वहन किया जाता है जोकि इनके द्वारा कार्य विशेष न होकर इनका प्राथमिक वैधानिक कार्य है जिसके लिए इनकी नियुक्ति की गई है। यहॉ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा मूल नियम 46 (बी) तथा इसी सन्दर्भ में भारत सरकार में मिमिस्टरी ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रोवैंसस एण्ड पैन्शन विभाग द्वारा पत्र संख्या 17011/3/97 स्थापना (अलाऊंस). दिनांक 17.7.1998 के पैरा (1) के अनुसार, " Honorarium should be paid only when the employees are entrusted with duties of a purly occational nature and under no circumstance should any honorarium be paid for performing any functions that are legitimately part of one"s defined duties and responsibilities." इसी पत्र के पैरा (5) के अनुसार, "It is also classified that amount of 5000, 2500 payable in each case by the ministries/departments under the powers delegated to them vide this departments O.M. No. 17011/9/85 स्थापना (ए एल) दिनांक 23.12.85 refers to the total amount of honorarium whether recurring or non recurring, that may be paid to an individual in a financial year."

अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जा रहे मानदेय को उपरोक्त केन्द्रीय सेवा नियम 46 (बी) तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा समस्त प्रकरण में संलिप्त राशि की वसूली करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। भुगतान किए गए मानदेय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	मास	मानदेय की राशि
1409	1/2010	340609
4	4/2010	339154
901	9/2010	368523
1315	10/2010	372890
1722	1/2011	363191
141	4/2011	389286
776	8/2011	407497
1205	10/2011	412533

1779	1/2012	399887
13	4/2012	426399
755	7/2012	410321
1413	10/2012	461231
	योग	**4691521**

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों), हिमाचल प्रदेश के होमगार्डो तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को मानदेय के रूप में ₹2186000/– का अनियमित भुगतान करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा का कार्य हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन कार्पोरेशन हमीरपुर तथा हिमाचल प्रदेश होमगार्ड के कर्मचारियों की सेवाऐं लेकर तथा मन्दिर परिसर की सफाई का कार्य संविदाकार की सेवाऐं लेकर निष्पादित करवाया जा रहा है। जॉच में पाया गया कि सुरक्षा कर्मियों, हिमाचल प्रदेश के होमगार्डो तथा संविदाकार के कर्मचारियों को वर्ष में लगने वाले मेलों के लिए ₹2186000/– का मानदेय भुगतान किया गया। यह कर्मचारी मन्दिर प्रबन्धन समिति के न होकर अन्य विभागों एवं संविदाकार के कर्मचारी है। अतः इन कर्मियों को निम्न विवरणानुसार किया गया मानदेय का भुगतान अनियमित है जिसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए क्योंकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः एल0सी0डी0–बी (2) 9/94–1 दिनांक 21.12.2010 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार इन कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

वा0सं0	मास	मानदेय की राशि
1448	1/2010	55500
377	5/2010	64500
1090	9/2010	139000
1358	10/2010	129000
222	5/2011	282000
1193	10/2011	250000
1265	10/2011	34000
1775	1/2012	120000
1776	1/2012	132000
1922	1/2012	34000

33	4/2012	134000
34	4/2012	118000
35	4/2012	34000
757	7/2012	140000
758	7/2012	134000
775	8/2012	34000
1414	10/2012	162000
1419	10/2012	190000
	योग	**2186000**

20 मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों) हिमाचल प्रदेश होमगार्डों तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को त्यौहार उपहार के रूप में नगद ₹517500/– का अनियमित भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान जॉच में पाया गया मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अपने स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों), हिमाचल प्रदेश के होमगार्डो तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को दीवाली पर त्यौहार उपहार के रूप में निम्नविवरणानुसार नगद ₹517500/– का भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 के अनुसार इस प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के नगद भुगतान करने का नियमों मे ंप्रावधान किया गया है। अतः अनियमित रूप से किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसकी वसूली जी जाए।

वा0सं0	मास	स्थाई कर्मचारियों की सं0	सुरक्षा कर्मियां, हि0 होमगार्ड तथा सफाई कर्मियों की सं0	दर	राशि	टिप्पणी
1337	11/2010	67	–	1500	100500	
1338	11/2010	–	–	–	20000	श्री अवनीश कुमार मन्दिर अधिकारी को अग्रिम राशि दी गई जिसका समायोजन नहीं किया गया है।
1352	10/2011	64	–	2500	160000	
1494	11/2010	–	156	500	78000	
1318	10/2011	–	34	1000	34000	

1321	10/2011	—	58	1000	58000
1354	10/2011	—	67	1000	67000
				योग	**517500**

21 मैसर्ज जैन एण्ड एसोशिएसन गुडगांव से कमीशन के आधार पर पार्किंग स्थल एवं स्वागत सांस्कृतिक सदन, गौ सदन एवं कर्मचारियों की आवासीय कालौनी हेतु अनुमान एवं प्राकलन तैयार करवाने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी की दिनांक 24.10.2008 को आयुक्त (मन्दिर) की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नलिखित कार्यों को निष्पादन करने का निर्णय लिया गयाः–

1 Reception centre complex

2 संस्कृत महाविद्यालय तथा कर्मचारी आवास कालौनी

इस सन्दर्भ में निदेशक, भाषा एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश शिमला–9 ने पत्र संख्या भा0स0नि0–1/2008–मन्दिर श्री चिन्तपूर्णी–7713 दिनांक 6.5.2009 द्वारा सूचित किया है कि इस प्रकरण में मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं सचिव (भाषा संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रकार से आदेश दिए गए हैः–

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृति सम्बन्धी आदेश
1	पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर का निर्माण	In respect of C/O Parking, Reception Centre, how the temple will be finance this project in view of higher cost. If the project can be phased out, proporal for the first plase may be sent."
2	संस्कृति सदन और गौ सदन का निर्माण	C/O buildings for Sanskrit Mahavidyalya and C/O "Gow Sadan are approved. However specific case for staff etc. may be sent seperately taking into account any direction of the hight court.

तत्पश्चात मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मैसर्ज जैन एण्ड ऐसोशिएटस गुडगांव को कमीशन के आधार पर पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर, संस्कृत महाविद्यालय तथा कर्मचारी आवास कॉलौनी के अनुमान एवं प्राकलन तैयार करने का कार्य आंबटित किया गया। इस सन्दर्भ में निम्नलिखत टिप्पणियां अपेक्षित है।

(क) मैसर्ज जैन एण्ड एसोशिएसन गुडगांव से पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर के फेज–I के अतिरिक्त फेज–II तथा फेज–III का अनुमान तथा प्राकलन तैयार करवाने के कारण ₹3177633/– के अनियमित भुगतान की सम्भावनाः–

उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–ई (2)–15/2000 दिनांक 25.2.2010 द्वारा पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर के फेज–1 का ही निर्माण कार्य करवाने का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जबकि मैसर्ज जैन ऐसासिएटस द्वारा फेज–1 के अतिरिक्त फेज–II तथा फेज–III का प्राकलन तथा अनुमान भी तैयार किया गया है जोकि अनियमित है क्योंकि फेज–II तथा फेज–III की प्रशासनिक स्वीकृति न होने की दृष्टिगत उक्त कार्य का अनुमान तथा प्राकलन तैयार करवाने की आवश्यकता नहीं थी। फेज–II तथा फेज–III की अनुमानित लागत ₹8 करोड़ 73 लाख है तथा इसके लिए मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मैसर्ज जैन एसोशिटस को ₹3177633/– का अनियमित भुगतान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि उक्त मामले में आवश्यक पड़ताल करके वस्तुस्थिति तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) मैसर्ज जैन एसोशिएटस से स्त्रोत से आयकर की ₹211331/– की कटौती न करने के कारण अनियमित भुगतान करनाः–

मैसर्ज जैन ऐसाशिएटस को निम्नानुसार किए गए भुगतानो से स्त्रोत से आयकर की ₹211331/– की कटौती नहीं की गई है। मैसर्ज जैन एसोशिएटस से आयकर की कटौती न करने बारे स्पष्टीकरण मन्दिर अधिकारी से आडिट मैमों संख्या 95/2013 दिनांक 20.5.2013 के अन्तर्गत मांगा गया था परन्तु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा स्त्रोत से आयकर के रूप में न काटी गई ₹211331/– की वसूली उक्त फर्म से नियमानुसार करके, यह राशि आयकर विभाग में जमा करवाई जाए।

स्टेज	मास	पार्किंग स्थल एवं स्वागत सैन्टर	संस्कृत महाविद्यालय
रिटेनिंग राशि	4/2008	30000	
प्रथम	2/2009	800000	
द्वितीय	3/2009	800000	

प्रथम	12/2008		140000
द्वितीय	3/2009		281760
		₹1630000	**₹421760**

(₹1630000+₹421760 = ₹2051760 पर 10.3**%** की दर से स्त्रोत से आयकर=₹211331/–)

(ग) रिटेनिंग ₹30000/– की कटौती न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा मैसर्ज जैन ऐसाशिएटस से किए गए अनुबन्ध के परिशिष्ट 2.3 के अनुसार उन्हें ₹30000/– बतौर रिटेनिंग राशि प्रदान की गई है जिसका समायोजन उनके आगामी बिलों से किया जाना था परन्तु जॉच में पाया गया कि 31.12.2011 तक इस राशि का समायोजन नहीं किया गया। इस बारे आडिट मैमों संख्या 94/2013 दिनांक 20.5.2013 द्वारा भी मन्दिर अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) संस्कृति सदन तथा कर्मचारी आवासीय कॉलौनी के प्राकलन तथा अनुमान तैयार करवाने के लिए ₹1118137/– के भुगतान बारेः–

प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा संस्कृति सदन तथा कर्मचारी आवासीय कॉलौनी के प्राकलन तथा अनुमान तैयार करवाने के लिए मैसर्ज जैन एसोशिएटस गुड़गॉव को दिनांक 31.12.2011 को ₹1118137/– भुगतान की गई। यह कार्य किस स्तर पर है इसकी सूचना उपलब्ध करवाने बारे मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 96/2013 दिनांक 20.5.2013 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अपेक्षित सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपेक्षित सूचना इस विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करवाई जाए।

22 नायब तहसीलदार भरवाई के कार्यालय के दूरभाष बिलों का ₹16861/– का भुगतान करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा नायब तहसीलदार भरवाईं के कार्यालय में लगाए गए दूरभाष संख्या 256818 के प्रभार के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹16861/– का भुगतान किया गया। यह भुगतान मन्दिर निधि पर अनुचित प्रभार है। अतः ₹16861/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

वा0सं0	मास	राशि
1517	1/2010	828
1795	3/2010	828
354	5/2010	1009
649	7/2010	1061
1143	9/2010	1066
1641	12/2010	1100
1831	2/2011	935
5158	3/2011	1016
452	6/2011	1440
665	7/2011	854
1152	10/2011	827
1524	11/2011	842
1892	1/2012	828
2272	3/2012	827
395	5/2012	843
821	8/2012	842
1401	10/2012	857
1567	11/2012	858
	योग	**16861**

23 निर्माण कार्य का नामः– C/O Gaushala at Katoher Kalam Amb (Sh. C/O Admn. Block Sick Cow Shed, Staff Residence

संविदाकार का नामः– श्री संजीव कुमार

आदेश संख्याः– टी टी सी 48/डिवैल्पमैन्ट–08–508

मापन पुस्तिका संख्याः– 39

(क) उक्त कार्य की माप पुस्तिका संख्या 39 की जॉच करने पर पाया गया कि गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹2649/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिका पृ0सं0	मद का नाम	ली गई गणना	सही गणना	अन्तर	दर	राशि
12	P/F form work with steel plates	1x2x4.80x.15=2.88m2	1.44m2	1.44m2	111	160
25	Steel work welded in biuilt up section 15MC 75x40	1x7x20.30=148.10m@ 6.8K/m=1007.08Kg	142.10m@6.80 Kg=966.28Kg	40.80kg	61	2489
					योग	**2649**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन लिए बिना निम्नानुसार अतिरिक्त मदों का कार्य निष्पादित किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके निष्पादित की गई मदों का नियमितकरण करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मापन पुस्तिका पृ0सं0	मद सं0	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
42	15	P/F wooden frams	20.94m2	2000	41880
42	17	Applying primer coat over new wood	51.72m2	19	982m70
42	18	Painting two corta on new wood	51.22m2	37.90	1960.20
42	19	White glezated tiles	2.94m2	701.10	2061.20
43	20	White coloued glazed tiled skirting	15m2	653.65	9804.75
				योग	**56688.85**

24 निर्माण कार्य का नामः– C/O Goshala at katoher kalm at Amb (Sh. C/O Cow Shed, Fodder Store, Lowdug yard etc.

संविदाकार का नामः– मैसर्ज भगवती कन्सटरक्शन

कार्यालय आदेश संख्याः'– टी टी सी/48/डिवैल्पमैन्ट–08–509 दिनांक 23.9.09

माप पुस्तिका संख्याः–39

उक्त कार्य की माप पुस्तिका संख्या 39 में की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जॉच करने पर पाया गया कि गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्नानुसार ₹976/– का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिका पृ0सं0	मद का नाम	ली गई गणना	उचित गणना	अन्तर	दर	राशि
35	C.C. 1:2:4 (b) column	7.28m3	7.14	.14m3	3200	448
30	P/L Mild/for steel	12mm size=1x2x4(3.30-.60+.60=39.60m@.89 K/m=35.24 Kg	26.40m@.89k2m=2349 Kg	11.74Kg	45	528
					योग	**976**

25 यात्री भवन भरवाई की मुरम्मत हेतु खुले बाजार में मदें क्रय करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा यात्री भवन भरवाईं की मुरम्मत करवाने के लिए निम्न भुगतान वाऊचरों के विरूद्ध मदें खुले बाजार से क्रय की गई थी परन्तु इन मदों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार स्थानीय क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था और न ही नियमानुसार कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप क्रय की गई मदों के न्यूनतम दर होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति में नियमित करवाया जाए।

वा0सं0	मास		मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
669	7/2012	(i)	चौखट कपूरसाल	126	125	15750
		(ii)	मोल्डिंग मरिन्डी	300	4	1200
		(iii)	बोल्ट पेच आदि	–	–	500
		(iv)	किराया	–	–	200
		(v)	मजदूरी फिटिंग	–	–	8000
					योग	**25650**
670	7/2012	(i)	शीशा	161	37	5957

(ii)	लुकिंग मिरम	15	55	825
(iii)	पुटीन	30 कि0ग्रा0	30	900
(iv)	लेंबर	–	–	1496
(v)	किराया	–	–	300
			योग	**9478**

26 लंगर के लिए विभिन्न प्रकार की राशन सामग्री का कम स्टॉक इन्द्राज करने बारे:–

अंकेक्षण अवधि 1/2010 से 12/2012 के चयनित मासों में जॉच करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट "xvi"** के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में प्रत्येक के आगे दर्शाई रसीदों द्वारा प्राप्त राशन सामग्री के विरूद्ध सम्बन्धित भडार रजिस्टर में कम अथवा शून्य मात्रा दर्ज की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज मात्रा को अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने के उपरान्त रसीद संख्या 277/0012 दिनांक 18.5.13, 279/0090 दिनांक 2.7. 2013 तथा रसीद संख्या 280/58 दिनांक 17.7.2013 द्वारा प्राप्त करके उक्त **परिशिष्ट "xvi"** में वर्णित क्रम संख्या **I** से **XXV** के अनुसार मदों को स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या क्रमशः ए–175, ए–215, ए–74, बी–21, ए–62, ए–215, ए–201, ए–10, ए–99, ए–32, ए–10, ए–10, बी–67 बी–67, ए–50, ए–14, ए–89, ए–177, ए–217, ए–101, बी–23, ए–14, ए–37, ए–137, बी–23 पर दर्ज किया गया जिसकी पुष्टि /सत्यापन अंकेक्षण दौरान कर लिया गया। अतः इस प्रकार के अन्य प्रकरणों पर मन्दिर समिति द्वारा भी अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके स्टॉक रजिस्टर में वास्तविक मात्रा को ही दर्ज किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जाए ।

27 भण्डार रजिस्टरों में पाई गई अनियमितताएं :'–

माता चिन्तपूर्णी के भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:'–

(क) प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अनुमोदन के बिना भण्डार रजिस्टर के पंखों को भण्डार से जारी करना:–

भण्डार रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार श्रद्धालुओं से चढ़ावें में प्राप्त किए गए दीवार को पंखों को विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों को जारी किया गया है। इन पंखों को जारी करने के लिए प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः बिना अनुमोदन चढाने के पंखों को जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

दिनांक	विभाग/संस्था का नाम	पंखों की सं0
2.4.2010	इन्चार्ज होम गार्ड	2
6.5.2010	महिला मण्डल वाहरू	3
10.5.210	रा0व0मा0पा0 अम्ब	6
11.5.2010	चेयरमैन सर्वेंट सोसाईटी बंगाणा	4
11.5.2010	रा0व0मा0पा0 मवा सिंघियॉ	3
17.5.2010	प्राईमरी हैल्थ सैन्टर लोहारा	1
4.6.2010	विकास सदन नारी	2
23.6.2010	जिला कोषाधिकारी ऊना	2
23.6.2010	प्राईमरी हैल्थ सैन्टर ऊना	3
23.6.2010	आंगन बाड़ी केन्द्र लोअर पंजाबर	1
23.6.2010	आंगन बाड़ी केन्द्र टक्की	1
2.7.2010	आदेशक गृह रक्षा 12वीं वाहिनी	5
27.7.2010	प्रभारी गृहरक्षा	1
1.9.2010	महिला मण्डल गोंदपुर बनहेड़ा	1
22.9.2010	स्ब तहसील भरवाईं	3
31.10.2010	ऐज स्कूल लोअर बन्साल	1
3.2.2011	भूपेन्द्र पटवारी मन्दोली	1
22.4.2011	आंगन बाड़ी गोन्दपुर बनहेड़ा	1
25.5.2011	रा0व0मा0पा0 अम्ब	6
9.6.2011	रा0व0मा0पा0 बन्साल	2
9.6.2011	कार्यालय ग्राम पंचायत नारी	1
30.6.2011	रा0मा0पा0 अठवां	2
6.7.2011	रा0व0मा0पा0 बड़ाहला	2
10.9.2011	रा0उच्च पा0 रैंसरी	4
14.9.2011	रा0व0मा0पा0 अम्ब	5
14.9.2011	आंगन बाड़ी केन्द्र समनोली	1
27.9.2011	रा0व0मा0पा0 चिन्तपूर्णी	3
	योग	**67**

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गरीब लड़कियों की शादी हेतु जारी मदों में पंखे की एक मात्रा अनुमोदित की गई थी परन्तु जॉच में पाया गया कि

निम्नानुसार प्रत्येक प्रकरण में एक पंखे की जगह 2 पंखे शादी के लिए जारी किए गए जोकि प्रबन्धन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरूद्ध है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**नाम**	**यात्रा जारी की गई**	**अधिक मात्रा**
23.2.2010	श्रीमती नियायते बीबी	2	1
22.9.2010	श्रीमती हसन बीबी	2	1
26.9.2011	श्रीमती ईलम बीबी	2	1
18.10.2011	श्री मौज दीन	2	1
22.10.2011	श्री अश्विनी कुमार	2	1
30.6.2012	श्री विनोद कुमार	2	1

(ग) परिशिष्ट "xvii" पर दिए गए विवरणानुसार मदों की प्राप्ति रसीदों द्वारा की गई थी परन्तु उन्हें भण्डार रजिस्टर में कम अथवा शून्य दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "xviii"** पर दिए गए विवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में प्राप्त मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज नही किया गया था तथा अब दोनों परिशिष्टों में दर्शाई गई मदों को दर्ज करने बारे पुष्टि कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

(घ) पंखों के भण्डार रजिस्टर में पंखों की गणना की जॉच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 200 पर मास 11/2010 में पंखों का योग 24 बनता था जिसे कि 18 लिया गया है। इस प्रकार गणना में 6 पंखे कम लिए गए।

(ङ) मास 5/2010 में पंखों का आरम्भिक शेष 94 लिया गया जिसे 98 लिया जाना था। इस प्रकार आरम्भिक शेष में 4 पंखे कम लिए गए जिन्हें भण्डार में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

(च) मास 9/2010 में पीतल की गढ़वी का आरम्भिक शेष 26 के स्थान पर 25 लिया गया। इस प्रकार आरम्भिक शेष में एक गड़वी कम ली गई जिसे भण्डार में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) मास 9/2010 में चढ़ावा रजिस्टर के अनुसार पीतल की गड़बियों का योग 9 बनता था परन्तु इसे 3 दर्शाया गया है। इस प्रकार पीतल गढ़बियों की मात्रा 6 कम ली गई जिन्हें भण्डार में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

28 बिजली के मीटर के बिल का ₹25529/– का दोहरा भुगतानः–

भुगतान वाऊचरों की जॉच करने पर पाया गया कि यात्री निवास में लगाए गए बिजली के मीटर संख्या YB-1/CS के माह 6/2010 के बिजली के बिल का भुगतान दो बार हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड मण्डल भरवाई को कर दिया गया है। विद्युत विभाग ने माह 6/2010 के लिए बिल संख्याः 263–भरवाई–NDNC-01-06/2010 दिनांक 5.7.2010 ₹25529/– भुगतान हेतु जारी किया था जिसका भुगतान मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा, वा0सं0 592 मास 7/2010 द्वारा करके विद्युत विभाग से रसीद संख्या 677592 दिनांक 14.7.2010 प्राप्त कर ली गई परन्तु विद्युत विभाग द्वारा माह 6/2010 का संशोधित बिल संख्या 263– NDNC-01 दिनांक 12.7.2010 ₹25983/– भुगतान के लिए पुनः जारी कर दिया गया तथा इस बिल का भुगतान भी प्रबन्धन समिति द्वारा वाऊचर संख्या 683 मास 7/2010 द्वारा ₹25983/– का कर दिया गया तथा रसीद संख्या 676784 दिनांक 24.7.2010 प्राप्त कर ली गई जबकि प्रबन्धन समिति द्वारा संशोधित बिल में से मात्र ₹454 (₹25983–₹25529) का ही भुगतान किया जाना था। इस प्रकार विद्युत विभाग को माह 6/2010 के लिए ₹25529/– का भुगतान अधिक किया गया। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 2453/13 दिनांक 19.7.2013 द्वारा सूचित किया है कि ₹25529/– के अधिक भुगतान का समायोजन विद्युत विभाग द्वारा बिल संख्या–263–भरवाईं NDNC-01-06/2013 दिनांक 5.7.2013 में कर दिया गया है तथा इसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

29 प्रेम आश्रम ऊना को ₹10437/– का दोहरा भुगतानः–

(i) वाऊचर संख्या 585 मास 7/2010 ₹18124

(iii) वाऊचर संख्या 624 मास 7/2010 ₹13437

मन्दिर समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण दल को बताया गया कि किसी श्रद्धालु द्वारा सोनू नामक बच्चे को बचपन में ही मन्दिर परिसर में छोड़ दिया गया था तथा मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी द्वारा इस बच्चे को प्रेम आश्रम चिल्ड्रन होम ऊना में पालन पोषण के लिए रखा गया है। इस बच्चे की पढ़ाई तथा अन्य समस्त खर्चों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा ही वहन किया जा रहा है। अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सोनू के पालन पोषण तथा शुल्क हेतु निम्नानुसार भुगतान किया गयाः–

वा0सं0	मास		विवरण	राशि
858	7/2010	(i)	Fees for Jan, Feb, March 2010 @ 2500x3 and Miscellaneous Exp.	7687

		(ii)	Fees of April , May, June 2010 @3000x3	9000
		(iii)	Miscelleneous Exp. (Drese shoes, Prithoky Party)	1270
		(iv)	Medicines	167
			योग	**18124**
624	7/2010	(i)	Fees of April, May June, July 2010 @ 3000x4	12000
		(ii)	Miscellaneous Exp. (Dress, Shoes, Bithday Party)	1270
		(iii)	Medicines	167
			योग	**13437**

उपरोक्त भुगतान वाऊचरों से स्वतः प्रतीत होता है कि निम्नानुसार ₹10437/– का भुगतान प्रेम आश्रम ऊना को दो बार कर दिया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

	विवरण	**राशि**
(i)	Fees of April, May June 2010 3000x3	9000
(ii)	Misc. Exp.	1270
(iii)	Medicines	167
	योग	**10437**

30 आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति लिए बिना ₹83645/– का विज्ञापन पर व्ययः–

चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार आयुक्त (मन्दिर) की स्वीकृति लिए बिना ही ₹83645/– का व्यय विज्ञापनों पर किया गया है जिसके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर व्यय का नियमितकरण करवाया जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**मास**	**प्रकाशन/अखबार का नाम**	**राशि**
1	539	7/2010	मै0 चोपड़ा पब्लिकेशन्ज	4800
2	690	7/2010	पंजाब केसरी	20000
3	544	7/2011	जागरण प्रकाशन	5974

4	545	7/2011	–यथोपरि–	20000
5	546	7/2011	–यथोपरि–	4874
6	684	7/2011	पंजाब केसरी	20000
7	693	7/2012	अमर उजाला	4997
			योग	**₹83645**

31 हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग द्वारा विद्युत बिलों पर लगाए गए ₹23915/– के एम0सी0 चार्जिज के बारे में:–

माह 7/2012 के दौरान मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा भुगतान किए गए बिजली के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नानुसार एम0सी0 चार्जिज की ₹23915/– वसूल की गई है। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा तदानुसार वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	**मास**		**मीटर सं0**	**राशि**
715	7/2012	(i)	P-III-956	4500
		(ii)	CP-III-1968-C	5850
		(iii)	CP-III-1752-C	5625
716	7/2012	(i)	CP-979-SL	1218
		(ii)	CP-1615-SL	162
		(iii)	CP-1616-SL	360
		(iv)	CP-1649-SL	72
		(v)	CP-1648-SL	1634
		(vi)	CP-1659-SL	252
		(vii)	CP-1660-SL	216
		(viii)	CP-2461-SL	576
		(ix)	BN-518-SL	972
		(x)	BN-673-SL	396
		(xi)	RS-1-SL	192
		(xii)	RS-28-SL	198
		(xiii)	RS-121-SL	540
		(xiv)	JB-1-SL	432

(xv)	IN-13-SL	198
(xvi)	BP-25-SL	198
(xvii)	YB-7-SL	324
	योग	**23915**

32 ₹40000/– का मोबाईल फोन क्रय करने पर व्ययः–

वाऊचर संख्या 1633 मास 12/2012 ₹40000

मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी द्वारा अपने अधिकारियों को मोबाईल चार्जिज का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है तथा मन्दिर समिति द्वारा निम्नानुसार मोबाईल फोन का भी क्रय किया गया है। इससे पूर्व भी मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मोबाईल फोन का क्रय किया गया था। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत किए गए क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

फर्म का नाम	बिल सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
मै0 कथूरिया इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनी ऊना	5649	मोबाईल	1	28000	28000
–यथोपरि–	5652	मोबाईल	1	12000	12000
					40000

33 हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन को ₹1143/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 696, माह 7/2012 के अन्तर्गत मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी ने हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस मैन कारपोरेशन हमीरपुर को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा कर्मचारियों के माह 5/2012 के वेतन की बकाया ₹1143/– का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	पद	कुल दिन	प्रतिमास नई दर	प्रतिमास पुरानी दर	प्रतिमास अन्तर	भुगतान राशि	देय भुगतान
1	सुपरवाईजर	236	10604.75	9814.57	790.18	6015.56	6015.56
2	सुरक्षा कर्मचारी	1796	7180.62	6653.84	526.78	31536.56	30519.25
						37552.13	36534.81

				सेवा कर 12.36%		4641.44	4515.70
				योग		**42193.57**	**41050.51**
			अधिक भुगतान ₹42193–₹41050 =₹1143				

34 मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा क्रय की गई ₹742659/– की दवाईयों तथा दान में प्राप्त दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्रत्येक मेले के दौरान दवाईयों का हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन से क्रय किया जाता है परन्तु इस दवाई को भण्डार रजिस्अर में दर्ज नहीं किया गया है। चर्चा में यह भी बताया गया कि क्रय की गई दवाईयों के अतिरिक्त भी श्रद्धालुओं द्वारा दवाईयॉ दान में दी जाती है परन्तु दान में प्राप्त की गई दवाईयों की न तो रसीद जारी की जाती है और न ही इन्हें भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अतः क्रय की गई दवाईयों तथा दान में प्राप्त दवाईयों को भण्डार पंजिका में दर्ज करके नियमानुसार इनका वितरण दर्शाना भी सुनिश्चित किया जाए। मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मास 1/2010 से 12/2012 तक क्रय की गई दवाईयों का विवरण निम्न प्रकार से है।

दिनांक	राशि
23.4.2010	24889
23.4.2010	41148
1.10.2010	106833
10.3.2011	139566
3.6.2011	78060
14.10.2011	146243
1.1.2012	34747
1.8.2012	136755
1.8.2012	34418
योग	**742659**

35 मुख्य आयुक्त की स्वीकृति के बिना भुगतान करनाः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 4 (5) के अनुसार, "आयुक्त प्रत्येक स्कीम में पचास हजार रूपये तक के लिए

वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते है और जिन स्कीमों में पचास हजार से अधिक का व्यय शामिल है उन्हें मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा परन्तु चयनित मासों में जॉच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार डिपोजिट कार्य करवाने के लिए विभिन्न विभागों को किए गए भुगतान को नियमित करवाने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति नहीं ली गई है। अतः मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से अनुमति लेकर व्यय का नियमितिकरण करवाया जाए।

	विभाग का नाम	कार्य का नाम		मास	राशि	टिप्पणी
1	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल–2	गौशाला निर्माण स्थल पर टयूबबैल	(i)	8/2009	1000000	
			(ii)	7/2010	650000	
			(iii)	6/2011	1348370	
2	अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	C/O rain shelter cum toilats block on main Road at then	(i)	3/2011	959000	
			(ii)	7/2011	604200	
3	–यथोपरि–	R&M of Sanoli Bye Pass Chinpurni Road KM 00 to 0/920	(i)	3/2010	716000	
			(ii)	7/2010	387432	
4	–यथोपरि–	Improovments wideniy of chinpurni talwara road by Pass KM 00 to 15/310 (Sh. Cutting in earth and C/O Retaining wall)		6/2011	973950	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा इन कार्यो को दिनांक 8.3.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया दर्शाया गया है। परन्तु उक्त बैठक में इनका अनुमोदन नहीं किया गया है।
5	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 विभाग	Improvement of chinpurni road by Pass (Sh. Retaining wall at RD 5/350 to 5/368 & 3/595 to 5/409)		7/2011	984700	–यथोपरि–
6	–यथोपरि–	R/M of samnoli bye Pass Chintpurni KM		7/2010	630878	प्रबन्धन समिति द्वारा निर्माण द्वारा R/M of

	% to 2/925 % o No. cayse way at RD 2/40 to 2/070	samnoli bye pass chintpurni KM % to 2-/925 (Sh. C/O 1 no. Cause way at RD 2/510 to 2/540) का अनुमोदन किया गया है।

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की दिनांक 18.3.2009 की बैठक की मद संख्या 11 तथा दिनांक 22.8.2009 की बैठक की मद संख्या 31 द्वारा अधिकारियों को निम्नानुसार मोबाईल का मासिक व्यय स्वीकृत किया गया।

अधिकारी	प्रतिमास राशि
आयुक्त (मन्दिर)	2500
सहायक आयुक्त (मन्दिर)	2000
मन्दिर अधिकारी	1500
सहायक अभियन्ता	1000

तत्पश्चात इन अधिकारियों को निम्नविवरणानुसार ₹224971/– का भुगतान मोबाईल चार्जिज के व्यय के रूप में किया गया परन्तु इस प्रकार के व्यय हेतु मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है जबकि यह भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन–1–(सी)–14–1/92 दिनांक 1.8.2007 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सीमा से अधिक है। अतः वांन्छित स्वीकृति अब प्राप्त की जाए तथा भविष्य में भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सीमा से किया जाए।

अधिकारी	**अवधि**	**भुगतान राशि**
आयुक्त (मन्दिर)	1/2010	3181
	2/2010	1735
	3/2010	2250
	4/2010	2171
	5/2010	2240
	6/2010	2293
	7/2010	1941
	8/2010	1955
	9/2010	1787

	10/2010	1524
	11/2010	2162
	12/2010	2124
	1/2011	2047
	3/2011	4515
	6/2011	2538
	9/2011	9351
	10/2011	2540
	11/2011	2277
	12/2011	2216
	1/2012	3225
	3/2012	865
	4/2012	1695
	5/2012	2145
	6/2012	1808
	7/2012	819
	9/2012	657
	10/2012	195
	11/2012	715
सहायक आयुक्त (मन्दिर)	1.1.2010 से 31.12.2012 तक 36 मास के लिए ₹2000 मासिक दर से भुगतान	72000
मन्दिर अधिकारी	1.1.2010 से 31.12.2012 तक 36 मास के लिए ₹1500 मासिक दर से भुगतान	54000
सहायक अभियन्ता	1.1.2010 से 31.12.2012 तक 36 मास के लिए ₹1000 मासिक दर से भुगतान	36000
	योग	**224971**

(ग) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर को माह 1/2010 से मोबाईल बिल का वास्तविक भुगतान तथा उपमण्डलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त तथा मन्दिर अधिकारी

को कमशः ₹2000/– व ₹1500/– प्रतिमाह की दर से मोबाईल भत्ते/व्यय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु इन भुगतान के अतिरिक्त मन्दिर समिति द्वारा इन अधिकारियों को चैत्र एवं असूज नवरात्रा मेलों के दौरान इसी समयावधि के लिए मोबाईल चार्ज करने हेतु पुनः अतिरिक्त ₹12500/– का भुगतान किया गया जिसका वितरण संलग्न **परिशिष्ट xix** पर दिया गया है। इस प्रकार इन अधिकारियों को पुनः किया गया मोबाईल भत्ता/भुगतान उचित नहीं है क्योंकि समिति द्वारा मन्दिर कार्यों हेतु उन्हें प्रतिमाह मोबाइल भत्ता/व्यय निर्धारित दर पर/वास्तविक व्यय आधार पर भुगतान किया जा रहा था। अतः अतिरिक्त भुगतान किए गए मोबाईल चार्ज/व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली करके समिति लेखें में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर निश्चित तौर पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।

36 आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति/स्वीकृति लिए बिना ₹57560/– के अनुदान का भुगतान करना तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान बिलों को पारित किए बिना ही ₹75040/– का भुगतान करनाः–

(क) चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार आयुक्त (मन्दिर) की स्वीकृति के बिना अनुदान की ₹57560/– भुगतान की गई है जिसका नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**मास**	**व्यक्ति का नाम**	**अनुदान राशि**
1	592	7/2010	मै0 हि0 टरेवलर्ज भरवाई	8500
2	561	7/2011	श्रीमती व्यासा देवी	5000
3	657	7/2011	श्रीमती कमला देवी	10000
4	707	7/2011	श्री सागर शर्मा	34060
			योग	**57560**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान बिलों को पारित किए बिना ही निम्नानुसार ₹70450/– का भुगतान किया गया। अतः इस सन्दर्भ में वांन्छित कार्रवाई अब करके तथा समस्त भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	मास	विवरण	राशि
512	7/2011	मजदूरों का मस्ट्रोल	40900
623	7/2011	होमगार्ड का बिल	29640
		योग	**70540**

37 जिला भाषा अधिकारी एवं सचिव जिला संस्कृति परिषद ऊना से ₹138000/— के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:—

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिला भाषा अधिकारी एवं सचिव जिला संस्कृति परिषद ऊना को ऊना को एतिहासिक व संस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु पुस्तक छपवाने के लिए ₹70000/— का भुगतान माह 5/2011 में तथा ₹68000 का भुगतान मास 7/2011 में वाऊचर 642 के अन्तर्गत किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन एवं विक्रय जिला भाषा अधिकारी एवं सचिव जिला संस्कृत परिषद ऊना द्वारा किया जाना था तथा इस पुस्तक की 1000 प्रतियॉ छपवाई जानी थी। विक्रय से प्राप्त आय का 50% भाग जिला संस्कृति परिषद तथा 50% भाग जिला रैडक्रास सोसाईटी के खातों में जमा करवाया जाना था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं किए गए है जिन्हें सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

38 अनुमोदित संख्या में अधिक सुरक्षा गार्डो को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तैनात करने बारे:—

एच0पी0एक्स सर्विस मैन कारपोरेशन हमीरपुर से सुरक्षा गार्डों तथा सुपरवाईजरों की सेवाऐं आउटस्टेडिंग आधार पर मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा ली गई है। इन की सेवाऐं लेने हेतु अनुमोदन नव वर्ष मेला की दिनांक 12.12.2000 की हुई बैठक की मद संख्या 15 द्वारा लिया गया जिसके अनुसार 31 सुरक्षा गार्ड तथा 4 सुपरवाईजर रखने निर्णय लिया गया था परन्तु चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जॉच में पाया गया कि निम्नानुसार सुरक्षा गार्डों तथा सुपरवाईजरों की सेवाएं प्रबन्धन समिति तथा आयुक्त (मन्दिर) की स्वीकृति/अनुमोदन के अनुमोदन के बिना ली जा रही है जिसके बारे में इस विभाग को नियमानुसार अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	मास		विवरण	संख्या	स्वीकृत सं0	अधिक सं0/अन्तर
686	7/2011	(i)	सुरक्षा गार्ड	58	31	27
		(ii)	सुपरवाईजर	8	4	4
695	7/2012	(i)	सुरक्षा गार्ड	59	31	28
		(ii)	सुपरवाईजर	8	4	4

39 मन्दिर परिक्षेत्र की सफाई हेतु संविदाकार को किए जाने वाले भुगतान बारेः–

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी परिक्षेत्र की सफाई व्यवस्था का कार्य श्री केवल कृष्ण संविदाकार को आंबटित किया गया है तथा उक्त संविदाकार को मासिक दर पर भुगतान किया जा रहा है। संविदाकार को किए गए मासिक भुगतानों की जॉच कने पर पाया गया कि संविदाकार की मासिक दरें बिना निविदाऐं बुलाए ही बढ़ा दी गई है। यह दरें माह 2/2000 में ₹48000/– प्रतिमाह से ₹62000/– प्रतिमाह, माह 5/2009 में ₹62000/– से ₹80000 प्रतिमाह, माह 9/2010 में ₹80000/– प्रतिमाह से ₹104000 प्रतिमाह तथा माह 3/2012 में ₹104000/– प्रतिमाह में ₹137000/– प्रति माह निर्धारित की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः बिना वित्तीय निविदाऐं बुलाए संविदाकार की दरें बढ़ाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 4 (5) के अनुसार आयुक्त (मन्दिर) को पचास हजार रूपये तक के लिए वित्तीय शक्तियॉ प्रदान की गई है तथा इससे अधिक का व्यय मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त अनुचित प्रक्रिया के नियमानुकूलन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सफाई कार्य हेतु व्यापक तौर पर प्रचार करके निविदाऐं आमन्त्रित की जाएं ताकि खुली बाजारी दर प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके।

40 सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगढ़ को भुगतान की गई ₹2536550/– के बारे मेंः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अस्थाई शौचालयों का निर्माण प्रतिवर्ष करवाया जाता है। इस निर्माण हेतु प्रतिवर्ष लाखों रूपये का भुगतान सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को किया जाता है। अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012 के दौरान भी अस्थाई शौचालयों का निर्माण करवाने के लिए सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को ₹2536550/– का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि माता श्री

चिन्तपूर्णी के श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है परन्तु मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु शौचालय का प्रावधान नहीं कि गया है तथा प्रत्येक मेले के दौरान मात्र अस्थाई शौचालयों का निर्माण करवाकर लाखों रूपये का भुगतान किया जाता है। यदि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा स्थाई शौचालयों का निर्माण करवा दिया जाता है तो इससे जहॉ एक ओर श्रद्धालुओं को ही सुविधा ही प्राप्त नहीं होती बल्कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान अस्थाई शौचालयों हेतु प्रतिवर्ष किए जा रहे लाखो रूपये के अनावश्यक भुगतान से भी बचा जा सकता था। अतः इस प्रकरण में मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा आन्तरिक जॉच करके तदानुसार यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

41 वाहनों के क्रय मुरम्मत तथा पैट्रोल इत्यादि की खरीद के अतिरिक्त प्रयोग से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) अग्नि शमन (फायर टैण्डर) वाहन के क्रय पर स्वीकृति राशि से ₹2097800/– का अधिक व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 के प्रावधानों के दृष्टिगत मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं प्रधान सचिव (भाषा संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या भासनि–सी (5)–3/2004–III दिनांक 9.8.2010 के अन्तर्गत माता श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर में अग्नि शमन वाहन खरीदने सम्बन्धी प्रशासनिक स्वीकृति/अनुमति निम्नानुसार प्रदान की हैः–

क्र0सं0	**विषय/प्रस्ताव**	**अनुमानित व्यय**
1	जल वाहक टाईप बी टाटा 1210, (4500 पानी की क्षमता वाला एक वाहन क्रय किया जाना)	936700
2	उक्त वाहन पर बाडी व पंप का खर्च	220000
3	वाहन के ऊपर अन्य सामान भी रखा जाएगा जिसकी अनुमानित कीमत	300000
		1456700

उपरोक्त विवरणानुसार मुख्य आयुक्त (मन्दिर) ने टाटा 1210 वाहन की स्वीकृति प्रदान की थी तथा जिस पर ₹1456700/– का व्यय जाना था परन्तु प्रबन्धक समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा टाटा 1613/42 वाहन का क्रय किया गया जिस पर ₹3554500 व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त विवरणानुसार मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा ₹2097800/– (3554500–1456700) का व्यय स्वीकृत राशि से अधिक किया गया है। इस बारे मन्दिर अधिकारी को ऑडिट मैमों संख्या 125/2013 दिनांक 6.7.2013 द्वारा स्पषीकरण देने/सूचना

उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 2338/13 दिनांक 12.7.2013 द्वारा सूचित किया है कि, "मन्दिर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए निर्णय के अनुसार मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा इसलिए अधिक धन खर्च करके यह अग्निशमन वाहन क्रय किया गया क्योंकि यह लेटेस्ट है और नवीनतम तकनीक वाला है, परन्तु इस बारे में मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति नहीं ली गई जोकि वांन्छित थी। अतः इस प्रकरण में मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय का नियमितकरण करवाया जाए तथा इस विभाग को भी अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

(ख) स्वराज माजदा टिप्पर वाहन संख्या एचपी–19–8525 का ₹760000/– में क्रय करने से सम्बनिधत अनियमितताओं के बारे में:–

उप सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या भा0उ0स0 515/2004–11 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार "मन्दिर माता चिन्पूर्णी के लिए पुरानी गाड़ी के स्थान पर कूड़ा एकत्रित करने के एक नई स्वराज माजदा गाड़ी क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई। मन्दिर प्रबन्धन समिति के पास कूड़ा कर्कट उठाने के लिए पहलें ही एक वाहन स्वराज माजदा एच0पी0–19–8587 उपलब्ध थी तथा इस वाहन ने दिनांक 10.7.2012 तक 175552 किलोमीटर की दूरी ही तय की है। चर्चा के दौरान बताया गया कि यह वाहन भी मन्दिर परिसर में ही खड़ा है जबकि स्वीकृति के अनुसार पुराने वाहन की नीलामी उपरान्त ही नए वाहन का क्रय किया जाना था परन्तु मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा पुराने वाहन को नकारा घोषित नहीं किया गया है अपितु मैसर्ज एस के धीमान एण्ड सन्ज गगल से बिल संख्या 71 दिनांक 16.1.2010 के अन्तर्गत ₹760000/– का नया वाहन का क्रय कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन को भण्डार में दर्ज नहीं किया गया है तथा इसका क्रय DGS&D दर के आधार पर भी नहीं किया गया है। इस बारे मन्दिर (अधिकारी) को आडिट मैमों संख्या 91 दिनांक 15.5.2013 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समप्ति तक मन्दिर अधिकारी से इस बारे कोई भी सूचना प्राप्त नही हुई। अतः इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाकर इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ग) वाहन Sx4 BS-IV का ₹795000 में क्रय करने से सम्बनिधत अनियमितताओं के बारे में:–

आयुक्त (मन्दिर) की पुरानी वाहन अम्बैसडर कार संख्या एच0पी0–20–001 को नीलाम करने के उपरान्त एक नई कार Sx4 BS-IV का क्रय मैसर्ज कम्पीटैन्ट ऑटोमोबाईल्ज हमीरपुर से बिल संख्या 1748658 दिनांक 26.6.2011 के अन्तर्गत ₹795000 में किया गया। इस सन्दर्भ में अवर सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–सी (6)–1/2002

दिनांक 15.1.2005 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति वाहन का क्रय करने हेतु नहीं ली गई। अतः इस बारे नियमानुसार सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर द्वारा व्यय का नियमितिकरण करवाया जाए। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पुराने वाहन एच0पी0–20–001 की नीलामी नया वाहन खरीदने के पश्चात दिनांक 17.8.11 को ₹190000 में की गई परन्तु नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गए जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) वाहन संख्या एच0पी0–19–सी–0099 का क्रय करने से सम्बनिधत अनियमितताओं के बारे में:–

(i) निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या भासनि–1/2008–मन्दिर–चिन्तपूर्णी 10216 दिनांक 30.6.2009 के अन्तर्गत दी गई स्वीकृति के अनुसार, "मन्दिर अधिकारी श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर के लिए नई टाटा सूमो खरीदने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि प्रथमतः पुरानी गाड़ी को नकारा घोषित किया जाए और वाहन का प्रयोग मन्दिर कार्यों के लिए ही किया जाए। इसके विपरीत मन्दिर प्रबन्धक समिति द्वारा "टाटा ग्रेड" वाहन का क्रय किया गया जोकि एक महंगा वाहन है जबकि निदेशक ने टाटा सूमो गाड़ी क्रय करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त उक्त स्वीकृति अनुसार प्रथमतः वाहन को नकारा घोषित किया जाना था तदोपरान्त नए वाहन का क्रय किया जाना था परन्तु नए वाहन का क्रय दिनांक 5.2.2010 को किया गया तथा पुराने वाहन को दिनांक 18.7.2011 को नकारा घोषित किया गया। उक्त बारे मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 87/2013 दिनांक 15.5.2013 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त वाहन का क्रय DG&D दर पर नहीं किया गया है जिस बारे सूचना उपलब्ध करवाने बारे ऑडिट मैमों संख्या 88/2013 दिनांक 15.5.2013 के द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त वाहन की प्रविष्टि भण्डार में दर्ज नहीं की गई है। अतः भण्डार में वाहन को दर्ज किया जाए तथा क्रय किए गए वाहन का नियमितकरण सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) वाहन संख्या एच0पी0–19–सी–0099 से 35010 किलोमीटर दूरी की यात्राओं से सम्बन्धित विवरण उद्देश्य न दिए जाने के बारे मे:–

वाहन संख्या एच0पी0–19–0099 की लॉग बुक की जॉच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "xx"** पर दिए गए विवरण के अनुसार मन्दिर अधिकारी द्वारा 35010 कि0मी0 दूरी की

ऐसी यात्राएं की गई थी जिनका पूर्ण विवरण/उद्देश्य लॉग बुक में नहीं दर्शाया गया था तथा अधिकांशतः मात्र कार्यालय का नाम लिखा गया था। इस बारे मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 9/13 दिनांक 15.5.2013 द्वारा स्पष्टीकरण देने/सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध भी किया गया परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः ऐसी यात्राओं का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

(iii) 2393 किलोमीटर दूरी की यात्राओं बारेः—'

उक्त वाहन की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी द्वारा निम्नानुसार विभिन्न कार्यों हेतु वाहन द्वारा पंजाब के विभिन्न शहरों में तथा जिला मुख्यालय के द्वारा यात्राएं की है तथा एक ही कार्य को करने के लिए वाहन को कई वार ले जाया गया है। इस बारे मन्दिर अधिकारी को ऑडिट मैमों संख्या 92/2013 दिनांक 15.5.2013 द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण/सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः वांन्छित सूचना आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनांक	से	तक	दूरी (कि0मी0)	उद्देश्य
1.9.2010	चिन्तपूर्णी	जालन्धर	220	इलैक्ट्रोनिक कण्डे का आर्डर देने गए
20.9.2010	चिन्तपूर्णी	जालन्धर	248	इलैट्रोनिक कण्डा लेने गए
4.10.2010	चिन्तपूर्णी	फगवाडा	235	वर्दी लेने फगवाड़ा गए
5.10.2010	चिन्तपूर्णी	लुधियाना	320	गाड़ी की सर्विस करवाने गए
6.10.2010	चिन्तपूर्णी	जालन्धर	224	गाड़ी के टायर लेने गए
21.10.2010	चिन्तपूर्णी	फगवाडा	236	वर्दी लेने फगवाड़ा गए
22.10.2010	चिन्तपूर्णी	जालन्धर	226	बिजली का सामान देखने गए
22.9.2011	चिन्तपूर्णी	होशियारपुर	142	मेले का सामान चूना व अन्य सामान का पता करने
23.9.2011	चिन्तपूर्णी	ऊना	134	दवाईयों जो मेले में लेनी है सिविल सप्लाई में बुक करने गए
24.9.2011	चिन्तपूर्णी	होशियारपुर	137	चूना व अन्य सामान मेले का लेकर आए

25.9.2011	चिन्तपूर्णी	ऊना	142	दवाईयों का पता करने गए
27.9.2011	चिन्तपूर्णी	ऊना	129	दवाईयॉ लेने बारे गए
			2393	

(ङ) वाहन संख्या एच0पी0 20–सी–004

(i) वाहन संख्या एच0पी0 20–सी–004 से 9019 किलोमीटर दूरी की यात्राएं जिनका मन्दिर कार्यों से सम्बन्ध न होनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा सहायक आयुक्त (मन्दिर) को मन्दिर कार्यों करने हेतु वाहन संख्या एच0पी0 20 सी 0004 क्रय करके उपलब्ध करवाया गया है। वाहन की मुरम्मत एवं रख रखाव का पूर्ण व्यय मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा ही वहन किया जा रहा है। वाहन की लॉग बुक की जॉच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन द्वारा **परिशिष्ट "xxi"** पर दिए गए विवरण के अनुसार 9019 किलोमीटर दूरी की यात्राएॅ ऐसी थी जिनका मन्दिर कार्यों से कोई भी सम्बन्धन न था। इस बारे मन्दिर अधिकारी को ऑडिट मैमों संख्या 126/2013 दिनांक 10.7.2013 द्वारा भी अपेक्षित स्पष्टीकरण/सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। अतः इन यात्राओं का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाए।

(ii) 288 किलोमीटर दूरी की यात्राओं में उद्देश्य न दर्शानाः–

एच0पी0 20 सी 0004 की लॉग बुक की जॉच करने पर पाया गया **परिशिष्ट "xxii"** पर दिए गए विवरण के अनुसार 288 किलो मीटर दूरी की ऐसी यात्राएॅ थी जिनके बारे में लॉग बुक में कोई भी उद्देश्य नहीं भरा गया था। मन्दिर अधिकारी को आडिट मैमों संख्या 126/2013 दिनांक 10.7.2013 द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध करवाने बारे भी अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई। अतः 288 किलोमीटर दूरी की यात्राओं का उद्देश्य/औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उचित स्त्रोत से राशि वसूल करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

(iii) अवधि 29.11.2011 से 31.12.2012 की वाहन की लॉग बुक उपलब्ध न करवाने बारेः–

उक्त वाहन संख्या एच0पी0 20 सी 004 की दिनांक 29.11.2011 से 31.12.2012 का लॉग बुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस बारे मन्दिर अधिकारी को ऑडिट मैमों संख्या 126/2013 दिनांक 10.7.2013 द्वारा भी लॉग बुक उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया

गया है परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लॉग बुक के अभाव में उक्त अवधि में की गई यात्राओं की न्यायोचितता की जांच के अतिरिक्त पैट्रोल के बिलों की लॉग बुक में प्रविष्टि की जॉच भी नहीं हो सकी। अतः वाहन की लॉग बुक आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाई जाए।

(च) वाहन संख्या एच0पी0 20 ए–3770 (एम्बूलैंस) व एच0पी0 19 ए–2699 के प्रयोग के बारे में:–

वाहन संख्या एच0पी0–20ए–3770 का क्रय विमार अपंग व बुजर्ग यात्रियों को बस स्टैड से मन्दिर परिसर तक लाने हेतु किया गया जिसके लिए प्रति फेरा 20/– तय किया गया था। इसक अतिरिक्त एक अन्य वाहन जोकि दान स्वरूप प्राप्त हुआ और जिसकी वाहन संख्या एच0पी0–2699 है को माह 2/2011 से वाहन संख्या एच0पी0–20ए–3770 के स्थान पर भी चलाया गया। उक्त वाहनों से प्राप्त आय की जॉच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "xxiii"** के अनुसार इन वाहनों से नाममात्र आय प्राप्त हुई क्योंकि उक्त वाहनों का प्रयोग वर्णित उद्देश्य को पूरा न करते हुए अन्यत्र ही प्रयोग किया गया जोकि आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि इन वाहनों का प्रयोग वर्णित उद्देश्यों पर ही किया जाए। इसके अतिरिक्त एम्बेलैंस एवं अन्य मन्दिर वाहनों में डलवाए गए तेल की जॉच करने पर पाया गया कि गाड़ी में पूरे माह में भरवाए गए तेल को दिनांक वार न भरकर तथा सम्बन्धित पम्प की सील न लगवाकर एक ही पृष्ठ पर स्वयं हस्तलिखित प्रविष्टियां करके इसको इन्द्राज किया गया है जो कि आपत्ति जनक है। अतः भरवाए गए तेल की प्रविष्टियॉ दिनांकवार व सम्बन्धित पैट्रोल की सील सहित करनी अपेक्षित है जिस बारे कार्रवाई अम्ल में लाई जाए।

(छ) वाहन में अनियमित रूप से डलवाए गए ₹3896/– के पैट्रोल की वसूली के बारे में:–

वाऊचर संख्या 688, माह 7/2011 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा वाहन संख्या एच0पी0–20–0425 (जोकि मन्दिर का वाहन नही है) में निम्नानुसार डलवाए गए पैट्रोल के बिलों की ₹3896/– का भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके यह राशि मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

बिल सं0	दिनांक		मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
4936	7.4.2011	(i)	पैट्रोल	30 लि0	60.60	1818
		(ii)	मोबाईल	1 लि0	186	186
4944	11.4.2011		पैट्रोल	30 लि0	63.05	1892
					योग	**3896**

(ज) टैक्सी चार्जिज के रूप में ₹4500/– का अनियमित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 652, माह 7/2010 की जॉच करने पर पाया गया कि मैसर्ज व्हाईट हाईट हिमालयन ट्रैवलज शिमला को बिल संख्या 1334 दिनांक 30.6.2010 के अन्तर्गत शिमला से चिन्तपूर्णी के लिए टैक्सी संख्या एच0पी0–01–ए–1241 द्वारा स्टेशनरी लाने हेतु 525 कि0मी0 यात्रा के लिए ₹4500 का भुगतान किया गया जबकि वाहन संख्या एच0पी0–19–0099 की लॉग बुक की जॉच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन की लॉग बुक में भी निम्नविवरणानुसार यात्राएं भरी गई थीः–

दिनांक	**से**	**तक**	**कि0मी0**	**उद्देश्य**
22.6.2010	चिन्तपूर्णी	शिमला	285	स्टेशनरी का सामान लेने गए
23.6.2010	लोकल	शिमला	30	–यथोपरि–
24.6.2010	शिमला	चिन्तपूर्णी	287	स्टेशनरी लेकर आए

अतः वाहन संख्या एच0पी0–19–0099 द्वारा भी लॉग बुक में शिमला से स्टेशनरी की ढुलाई दर्शाने के अतिरिक्त टैक्सी को भी ₹4500/– का ढुलाई करने हेतु किया गया भुगतान अनियमित है। अतः उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹4500/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अविलम्ब मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

(झ) वाहन संख्या एच0पी0–22–टी–9147 की मुरम्मत पर व्यय की गई ₹22725/– के बारे में:–

वाऊचर संख्या 652, माह 7/2011 के अन्तर्गत मैसर्ज लाईफ फर्नीशिंग हाऊस चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या 702 दिनांक 5.7.2011 के अन्तर्गत वाहन संख्या एच0पी0–22–टी0–9147 की मुरम्मत हेतु ₹22725/– का भुगतान किया गया परन्तु वाहन का मुरम्मत रजिस्टर आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन की मुरम्मत खुले बाजार से निविदाएं लेकर करवाई गई परन्तु निविदाएं किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ञ) वाहन मुरम्मत रजिस्टर तैयार न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के वाहनों की मुरम्मत से सम्बन्धित कार्यों तथा बदलवाए गए कल पुर्जों को वाहन मुरम्मत रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार किया जाने सुनिश्चित किए जाए।

42 विज्ञापनों पर ₹7418918/– का अनियमित व्यय करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मैगजीन, क्षेत्रीय मेलों, पब्लिकेशन सोसाईटी तथा एसोशिएशन की पत्रिकाओं में विज्ञापन हेतु **परिशिष्ट "xxiv"** के अनुसार ₹7418918/– का भुगतान किया गया जो कि समिति के लेखों पर अनियमित एवं औचित्यहीन आर्थिक बोझ है क्योंकि इस भुगतान का मन्दिर की विकास गतिविधियों एवं श्रद्धालुओं को प्रदान की जानी वाली सुविधाओं से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कोई भी सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा भी अवर सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एल0सी0डी0–ई(3)–18/2010 दिनांक 26.12.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे व्ययों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः मन्दिर प्रशासन को इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि इन व्ययों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर निधि को मन्दिर के विकास कार्यों पर व्यय किया जाए।

43 बिजली के सामान की नीलामी न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी प्रति वर्ष लाखों रूपये का बिजली का सामान मेलों तथा विविध कार्यों के लिए क्रय किया जा रहा है परन्तु क्रय किए गए सामान/उपकरणों से समबन्धित अभिलेख का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन समिति द्वारा एक बार भी बदली की बिजली की मदों की नीलामी नहीं की गई है जोकि अनियमितता है। अतः क्रय किए गए बिजली के सामान का अभिलेख उचित प्रकार से तैयार किया जाए तथा बिजली के पुराने सामान की शीध्र नीलामी की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

44 माननीय न्यायालयों में लम्बित मामलों बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति के विभिन्न मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े है जिन्हें **परिशिष्ट xxv** पर दर्शाया गया हैं। इन मामलो में निर्णय होने पर तदानुसार कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाएं।

45 विविध अनियमितताएंः–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना न करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी जिला ऊना के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मदें क्रय करते समय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है इस प्रकार लेखों में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः–

(i) निविदाओं के बिना क्रयः–

वित्तीय नियम 2009 के नियम 97(1) में प्रावधान है कि बिना निविदाऍ बुलाए ₹3000/– तक की मदों का क्रय किया जा सकता है, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा ₹50000 होंगी, परन्तु जॉच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा बिना निविदाऍ बुलाए ₹3000/– तक की मदों का क्रय तो किया जा रहा है परन्तु समिति द्वारा नियम 97(2) में वर्णित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में यह ज्ञात को सका कि वित्तीय वर्ष के दौरान बिना निविदाऍ बुलाए कुल कितना क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 97 (1) में दिए गए प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किए जा रहे है। अतः वांछित अभिलेख अब तैयार किया जाए तथा भविष्य में भी इसकी अनुपालना करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार भी विभागाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति (Local Purchase committee) का गठन करके क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार के क्रय में समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत में प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना है, परन्तु जॉच में पाया गया कि मन्दिर न्प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही क्रय समिति से वांछित प्रमाण पत्र लिए जा रहे है। अतः इस प्रकार के समस्त क्रय बारे नियमानुसार अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 103 के अनुसार उन सप्लायरों को अधिमान दिया जाना चाहिए जिनके डिपो हिमाचल प्रदेश राज्यों में है परन्तु जॉच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जालन्धर, होशियारपुर, फगवाड़ा तथा लुधियाना इत्यादि शहरों से उन मदों का भी क्रय किया जा रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में भी उपलब्ध है। इससे एक ओर तो मन्दिर के वाहनों का दुरूपयोग हो रहा है वहीं दूसरी ओर अधिकारियों/कर्मचारियों को बार–बार बाहर जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना भी नहीं हो पर रही है। अतः नियमानुसार उन्हीं सप्लायरों को अधिमान दिया जाए जिनके डिपू हिमाचल प्रदेश राज्य में है।

(iv) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सप्लायरों तथा विभिन्न फर्मों को सामान्यतः राशियॉ अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है परन्तु वित्तीय नियम 2009 के नियम 108 (4) के अनुसार सप्लायरों तथा फर्मों से बैंक गारन्टी प्राप्त नहीं की जा रही है तथा न ही उन्हें उक्त नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों में मात्र 80% अग्रिम राशि का ही प्रावधान है। अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति के अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है है कि वह नियमानुसार जिन सप्लायरों अथवा फर्मों को अग्रिम भुगतान करते है उनसे बैंक गारन्टी ले तथा नियमानुसार ही अग्रिम राशि जारी करने सुनिश्चित करें।

(ख) होर्डिंगस/साईन बोर्ड लगाने के बारे में:–

वाऊचर संख्या 698, माह 7/2012 के अन्तर्गत श्री राज कुमार सहायक अभियन्ता को श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान होडिंगस/साईन बोर्ड लगाने हेतु ₹10000/– बतौर अग्रिम प्रदान की गई है तथा इस अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है परन्तु इससे पूर्व भी मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा होर्डिगस/साईन बोर्ड काफी मात्रा में बनाए गए है जिन्हें रंग करवाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः बार–बार नए होर्डिगस तथा साईन बोर्ड तैयार करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) भण्डार पंजिका में स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:–

वाऊचर संख्या 589, माह 7/2011 के अन्तर्गत मैसर्ज विनोद इलैक्ट्रिकल एण्ड रेडियो चिन्तपूर्णी से 2 टयूब रोड का ₹200 प्रति की दर से ₹400 में क्रय किया गया परन्तु क्रय की गई टयूब रोड की भण्डार पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः वांन्छित कार्रवाई अब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(घ) स्टॉक का वार्षिक सत्यापन न करना:–

मन्दिर प्रबन्धन समिति के भण्डार रजिस्टरों का प्रत्यक्ष सत्यापन्न अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी परिणाम से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ड) भण्डार रजिस्टर के रख रखाव बारे:–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की भण्डार पंजिकाओं की जॉच करने पर पाया गया कि अवधि 1/2010 से 12/2012 के दौरान क्रय अथवा चढ़ावे के रूप में प्राप्त अनेक मदों का इन्द्राज अलग–2 नए पृष्ठ पर दर्ज किया जा रहा है जोकि एक अनियमितता है जिस कारण किसी मद की कुल शेष मात्रा को किसी अमुक दिवस पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इन आशय से लाया जाता है कि एक ही प्रकृति की मदों को स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाकर प्रत्येक मदों की कुल मात्रा की गणना करवाकर शेष मात्रा को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति को रोकना सुनिश्चित किया जाए।

(च) चल एवं अचल सम्पति का रजिस्टर तैयार न करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा चल व अचल सम्पति रजिस्टर तथा मूर्ति रजिस्टरयार नहीं किया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था नियम 1984 के नियम 6 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अचल सम्पति सम्बंधी रजिस्टर का रख रखाव एवं मूर्ति के अभिलेख का रख रखाव मन्दिर प्रबन्धन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार किए जाएँ तथा इन अभिलेखों को सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(छ) रसीदें प्राप्त न करनाः–

(i) चयनित मासों में जांच के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को किए गए भुगतान के समर्थन में रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	मास		कर्मचारी का नाम	विवरण	राशि
720	7/2010		श्री कमल नयन	मानदेय	1600
604	7/2011	(i)	सहायक आयुक्त (मन्दिर)	मोबाईल चार्जिज	2000
		(ii)	मन्दिर अधिकारी	–यथोपरि–	1500
605	7/2011	(i)	डी0ए0 ऊना	मानदेय	500
		(ii)	श्री कमल नयन	मानदेय	1600
763	7/2012	(i)	श्री कमल नयन	मानदेय	1600
		(ii)	डी0ए0 ऊना	मानदेय	500
		(iii)	श्री सुरेन्द्र कुमार	मानदेय	1000
		(iv)	मन्दिर अधिकारी	मानदेय	2000
764	7/2012	(i)	सहायक आयुक्त (मन्दिर)	मोबाईल चार्जिज	2000
		(ii)	मन्दिर अधिकारी	–यथोपरि–	1500
		(iii)	सहायक अभियन्ता	–यथोपरि–	1000

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त वाऊचर संख्या 664, माह 7/2012 के अन्तर्गत श्री राज कुमार सहायक अभियन्ता को थनिकपुरा गॉव में नव निर्मित शौचालयों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड से बिजली का मीटर लगवाने हेतु ₹3962/— प्रदान की गई है परन्तु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की रसीद अभिलेख में उपलब्ध न थी। अतः वांन्छित रसीदें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए।

46 **आपत्ति विवरणीः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि इनका निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

47 **निष्कर्षः—** मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धालुओ से चढावे के रूप में काफी मात्रा में राशियां प्राप्त हो रही है परन्तु प्राप्त की इन राशियों का एक बड़ा हिस्सा अनियमित रूप से कर्मचारियों को मानदेय, त्यौहार उपहार, वाहनों के क्रय एवं रख रखाव, प्रधानों को अनुदानों देनें, अन्य विभागों की योजनाओं तथा विज्ञापन पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन द्वारा पूर्व में अत्याधिक राशियों की जमीनों का भी क्रय किया गया तथा चर्चा में बताया गया कि जिस उद्देश्य के लिए इन जमीनों का क्रय किया गया है उनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन द्वारा व्यय "मास्टर प्लान" की अवहेलना करते हुए अन्य मदों पर किया जा रहा है जोकि अनियमित है। उक्त के अतिरिक्त गत अनिर्णीत प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के बारे में निपटारे हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन (एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(14)187/96, दिनांक, 17.01.2013 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता चिन्तपूर्णी, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 जिलाधीश ऊना एवं आयुक्त (मन्दिर) जिला ऊना हि0प्र0

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

5 श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/6/87 से 31/12/1995 :–

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अंशतः निर्णीत
7	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–20 (क) (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–21	अनिर्णीत
10	पैरा–23	अनिर्णीत
11	पैरा–24	अनिर्णीत
12	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–30	अनिर्णीत
15	पैरा–31	अंशतः निर्णीत
16	पैरा–32	अंशतः निर्णीत
17	पैरा–33	अनिर्णीत
18	पैरा–34	अनिर्णीत
19	पैरा–35	अनिर्णीत
20	पैरा–38	अनिर्णीत
21	पैरा–41	अंशतः निर्णीत
22	पैरा–43	अनिर्णीत
23	पैरा–44	अनिर्णीत
24	पैरा–45	अनिर्णीत
25	पैरा–47	अनिर्णीत
26	पैरा–48	अनिर्णीत
27	पैरा–49	अनिर्णीत
28	पैरा–55	अनिर्णीत
29	पैरा–56	अनिर्णीत
30	पैरा–57	अनिर्णीत

31	पैरा—60	अनिर्णीत
32	पैरा—61 (क)	अनिर्णीत
33	पैरा—61 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा—61 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा—61 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा—61 (ङ.)	अनिर्णीत
37	पैरा—61 (च)	अनिर्णीत
38	पैरा—61 (छ)	अनिर्णीत
39	पैरा—61 (ज)	अनिर्णीत
40	पैरा—61 (झ)	अनिर्णीत
41	पैरा—61 (ञ)	अनिर्णीत
42	पैरा—61 (ट)	अनिर्णीत
43	पैरा—65	अनिर्णीत
44	पैरा—66	अनिर्णीत
45	पैरा—67 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
46	पैरा—68	अनिर्णीत
47	पैरा—69	अंशतः निर्णीत
48	पैरा—70 (1)	अनिर्णीत
49	पैरा—70 (2)	अनिर्णीत
50	पैरा—70 (3)	अनिर्णीत
51	पैरा—70 (4)	अनिर्णीत
52	पैरा—70 (5)	अनिर्णीत
53	पैरा—70 (10)	अनिर्णीत
54	पैरा—70 (11)	अनिर्णीत
55	पैरा—70 (12)	अनिर्णीत
56	पैरा—71 (क) (2)	अनिर्णीत
57	पैरा—71 (क) (6)	अनिर्णीत
58	पैरा—71 (ख) (4)	अनिर्णीत
59	पैरा—73	अनिर्णीत
60	पैरा—75 (ख)	अनिर्णीत
61	पैरा—75 (ख) (4)	अनिर्णीत
62	पैरा—76 (3)	अनिर्णीत

63	पैरा–76 (4)	अंशतः निर्णीत।	(बिजली तथा पानी की वसूली नियमानुसार अपेक्षित है)
64	पैरा–77	अनिर्णीत	
65	पैरा–78	अनिर्णीत	
66	पैरा–79 (2)	अनिर्णीत	
67	पैरा–79 (3)	अनिर्णीत	
68	पैरा–79 (4)	अनिर्णीत	
69	पैरा–80 (2)	अनिर्णीत	
70	पैरा–82 (1)	अनिर्णीत	
71	पैरा–82 (3)	अनिर्णीत	
72	पैरा–82 (5)	अनिर्णीत	
73	पैरा–82 (6)	अनिर्णीत	
74	पैरा–83	अनिर्णीत	
75	पैरा–85 (1)	अनिर्णीत	
76	पैरा–85 (2)	अनिर्णीत	
77	पैरा–85 (3)	अंशतः निर्णीत	
78	पैरा–88 (1)	अनिर्णीत	
79	पैरा–88 (2)	अनिर्णीत	
80	पैरा–89	अनिर्णीत	
81	पैरा–90	अनिर्णीत	
82	पैरा–92	अनिर्णीत	
83	पैरा–93	अनिर्णीत	
84	पैरा–95	अनिर्णीत	
85	पैरा–96	अनिर्णीत	
86	पैरा–97	अनिर्णीत	
87	पैरा–99 (क)	अनिर्णीत	
88	पैरा–99 (ग)	अनिर्णीत	
89	पैरा–99 (घ)	अनिर्णीत	
90	पैरा–99 (च)	अनिर्णीत	
91	पैरा–99 (छ) (2)	अनिर्णीत	
92	पैरा–99 (ज)	अनिर्णीत	
93	पैरा–99 (झ)	अनिर्णीत	

94	पैरा—99 (ञ) (1)	अनिर्णीत
95	पैरा—99 (ठ) (1)	अनिर्णीत
96	पैरा—99 (ठ) (2)	अनिर्णीत
97	पैरा—128 (क)	अनिर्णीत
98	पैरा—128 (ग)	अनिर्णीत
99	पैरा—129	अनिर्णीत
100	पैरा—131	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.1999 से 31.12.1999

1	पैरा—12	अनिर्णीत
2	पैरा—15	अनिर्णीत
3	पैरा—18	अनिर्णीत
4	पैरा—20	अनिर्णीत
5	पैरा—22 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा—22 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—23	अनिर्णीत
8	पैरा—24	अनिर्णीत
9	पैरा—26	अनिर्णीत
10	पैरा—27 (ख)	अंशतः निर्णीत
11	पैरा—28	अंशतः निर्णीत
12	पैरा—33 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—34 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—34 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—35	अनिर्णीत
16	पैरा—36	अनिर्णीत
17	पैरा—37 (ख व ग)	अनिर्णीत
18	पैरा—38	अनिर्णीत
19	पैरा—39	अनिर्णीत
20	पैरा—40	अनिर्णीत
21	पैरा—42	अनिर्णीत
22	पैरा—43	अनिर्णीत
23	पैरा—44	अनिर्णीत

24	पैरा—46 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा—47	अनिर्णीत
26	पैरा—48	अनिर्णीत
27	पैरा—51	अनिर्णीत
28	पैरा—52	अनिर्णीत
29	पैरा—54	अनिर्णीत
30	पैरा—55 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा—55 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा—56 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा—56 (ग)	अनिर्णीत
34	पैरा—61 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा—65 (क)	अनिर्णीत
36	पैरा—65 (ख)	अनिर्णीत
37	पैरा—65 (ग)	अनिर्णीत
38	पैरा—65 (घ)	अनिर्णीत
39	पैरा—65 (ड.)	अनिर्णीत
40	पैरा—65 (च)	अनिर्णीत
41	पैरा—65 (छ)	अनिर्णीत
42	पैरा—65 (ज)	अनिर्णीत
43	पैरा—65 (झ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अनिर्णीत
4	पैरा—12	अनिर्णीत
5	पैरा—14 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा—17	अनिर्णीत
7	पैरा—18	अनिर्णीत
8	पैरा—21 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा—24 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा—27	अनिर्णीत

11	पैरा—32	अनिर्णीत
12	पैरा—33	अनिर्णीत
13	पैरा—34	अनिर्णीत
14	पैरा—35	अनिर्णीत
15	पैरा—36	अनिर्णीत
16	पैरा—38	अनिर्णीत
17	पैरा—39	अनिर्णीत
18	पैरा—40	अनिर्णीत
19	पैरा—43	अनिर्णीत
20	पैरा—44	अनिर्णीत
21	पैरा—45	अनिर्णीत
22	पैरा—46 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा—46 (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा—48 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा—57 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा—60	अनिर्णीत
27	पैरा—61 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा—62	अनिर्णीत
29	पैरा—66 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा—69 (क)	अनिर्णीत
31	पैरा—69 (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा—69 (ग)	अनिर्णीत
33	पैरा—69 (घ)	अनिर्णीत
34	पैरा—69 (ड.)	अनिर्णीत
35	पैरा—69 (च)	अनिर्णीत
36	पैरा—69 (छ)	अनिर्णीत
37	पैरा—69 (ज)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002 :—

1	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा—7 (क)	अनिर्णीत

5	पैरा–7 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत
13	पैरा–22	अनिर्णीत
14	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा–25 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–26 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–26 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–28	अनिर्णीत
20	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–31	अनिर्णीत
23	पैरा–32 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा–32 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–34	अनिर्णीत
26	पैरा–35 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–36	अनिर्णीत
28	पैरा–39	अनिर्णीत
29	पैरा–41	अनिर्णीत
30	पैरा–43	अनिर्णीत
31	पैरा–46	अनिर्णीत
32	पैरा–48	अनिर्णीत
33	पैरा–49	अनिर्णीत
34	पैरा–50 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा–50 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–51	अनिर्णीत

37	पैरा–53	अनिर्णीत
38	पैरा–55 (क)	अनिर्णीत
39	पैरा–55 (ख)	अनिर्णीत
40	पैरा–55 (ग)	अनिर्णीत
41	पैरा–56	अनिर्णीत
42	पैरा–57	अनिर्णीत
43	पैरा–60	अनिर्णीत
44	पैरा–61 (क)	अनिर्णीत
45	पैरा–61 (ख)	अनिर्णीत
46	पैरा–61 (ग)	अनिर्णीत
47	पैरा–63	अनिर्णीत
48	पैरा–65	अनिर्णीत
49	पैरा–66	अनिर्णीत
50	पैरा–67	अनिर्णीत
51	पैरा–68 (क से घ)	अनिर्णीत
52	पैरा–70	अनिर्णीत
53	पैरा–74	अनिर्णीत
54	पैरा–76	अनिर्णीत
55	पैरा–77	अनिर्णीत
56	पैरा–81	अनिर्णीत
57	पैरा–82	अनिर्णीत
58	पैरा–83	अनिर्णीत
59	पैरा–99 (1)	अनिर्णीत
60	पैरा–99 (2)	अनिर्णीत
61	पैरा–100	अनिर्णीत
62	पैरा–101	अनिर्णीत
63	पैरा–102	अनिर्णीत
64	पैरा–103 (1)	अनिर्णीत
65	पैरा–103 (2)	अनिर्णीत
66	पैरा–104	अनिर्णीत
67	पैरा–105	अनिर्णीत
68	पैरा–106	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2003 से 31.12.2004

1	पैरा–14	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–27 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–29 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–31	अनिर्णीत
10	पैरा–32	अनिर्णीत
11	पैरा–33	अनिर्णीत
12	पैरा–34	अनिर्णीत
13	पैरा–40 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–42	अनिर्णीत
15	पैरा–43	अनिर्णीत
16	पैरा–45 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–47	अनिर्णीत
18	पैरा–48 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–50 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–50 (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा–51 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
22	पैरा–53 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
23	पैरा–57	अनिर्णीत
24	पैरा–61	अनिर्णीत
25	पैरा–64	अनिर्णीत
26	पैरा–66 (क)	अनिर्णीत
27	पैरा–66 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा–67 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा–67 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–68 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
31	पैरा–69 (क,ख,ग)	अनिर्णीत

32	पैरा–70 (क) (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–72 (क) (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा–73 (क) (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–74 (क) (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–75 (ख)	अनिर्णीत
37	पैरा–75 (ग)	अनिर्णीत
38	पैरा–75 (घ)	अनिर्णीत
39	पैरा–75 (ड.)	अनिर्णीत
40	पैरा–80 (क) (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–81 (1)	अनिर्णीत
42	पैरा–81 (4)	अनिर्णीत
43	पैरा–81 (5)	अनिर्णीत
44	पैरा–81 (6)	अनिर्णीत
45	पैरा–81 (7)	अनिर्णीत
46	पैरा–81 (8)	अनिर्णीत
47	पैरा–81 (9)	अनिर्णीत
48	पैरा–81 (10)	अनिर्णीत
49	पैरा–81 (11)	अनिर्णीत
50	पैरा–81 (12)	अनिर्णीत
51	पैरा–81 (13)	अनिर्णीत
52	पैरा–81 (14)	अनिर्णीत
53	पैरा–81 (15)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2005 से 31.12.2005

1	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–18	अनिर्णीत
5	पैरा–21	अनिर्णीत
6	पैरा–22	अनिर्णीत
7	पैरा–24 (क) (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत

9	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2006

1	पैरा–3 (1) (च) 2 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (1)	अंशतः निर्णीत	(क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है।)
5	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
14	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत	
16	पैरा–17 (4) (1)	अनिर्णीत	
17	पैरा–17 (5)	अनिर्णीत	
18	पैरा–17 (6)	अनिर्णीत	
19	पैरा–18	अनिर्णीत	
20	पैरा–19	अनिर्णीत	
21	पैरा–20	अनिर्णीत	
22	पैरा–21	अनिर्णीत	
23	पैरा–23	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2007 से 31.12.2008

1	पैरा–5	अंशतः निर्णीत	(पृष्ठांकन संख्या फिन (एल0ए0) एच (2) सी (15)(14)187/86 खण्ड–IX – दिनांक 21.7.2010 द्वारा क्र0सं0 2 तथा 6 के सन्दर्भ में समायोजन/वसूली वांछित है)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क) (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (क) (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (क) (4)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (क) (5)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (ड.)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	
16	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–11	अनिर्णीत	
20	पैरा–13	अनिर्णीत	
21	पैरा–14	अनिर्णीत	
22	पैरा–15	अनिर्णीत	
23	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	

24	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–17	अनिर्णीत
26	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
30	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
31	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत
32	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत
33	पैरा–19	अनिर्णीत
34	पैरा–20	अनिर्णीत
35	पैरा–21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2009 से 31.12.2009

1	पैरा–3 (1) (क से छ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2012 के पैरा संख्या 3 (1) में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई)
2	पैरा–3 (2) (क, ख) (i, ii, iii)	निर्णीत	(i) सोना व चांदी की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2012 के पैरा संख्या में दर्शाई गई) (ii) कम दर्ज किए गए सोने एवं चांदी की मात्रा का सत्यापन सोना चांदी रजिस्टर के पृष्ठ 360 पर कर लिया गया है।)
3	पैरा–4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है)
4	पैरा–5	निर्णीत	(अस्थाई अग्रिमों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2012 के पैरा संख्या "5" में दर्शाई गई है)
5	पैरा–6 (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	

6	पैरा–7 (i, ii, iii)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ख) (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत
9	पैरा–9	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–11	अनिर्णीत
12	पैरा–12	अनिर्णीत
13	पैरा–13	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
15	पैरा–15(i, ii, iii)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (i, ii, iii)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (i, ii)	अनिर्णीत
18	पैरा–18	अनिर्णीत
19	पैरा–19	अनिर्णीत
20	पैरा–20 (i, ii)	अनिर्णीत
21	पैरा–21	अनिर्णीत
22	पैरा–22	अनिर्णीत
23	पैरा–23	अनिर्णीत
24	पैरा–24 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
25	पैरा–25	अनिर्णीत
26	पैरा–26 (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज)	अनिर्णीत
27	पैरा–26	अनिर्णीत
28	पैरा–27	अनिर्णीत
29	पैरा–28 (क)(i, ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–28 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–28 (ग) (i, ii)	अनिर्णीत
32	पैरा–29	अनिर्णीत
33	पैरा–30	अनिर्णीत
34	पैरा–31	अनिर्णीत
35	पैरा–32	अनिर्णीत
36	पैरा–33 (क,ख)	अनिर्णीत
37	पैरा–34 (1, 2, 3, 4, 5)	अनिर्णीत

38	पैरा–35 (क, ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा–36	अनिर्णीत	
40	पैरा–37	अनिर्णीत	
41	पैरा–38	अनिर्णीत	
42	पैरा–39	अनिर्णीत	
43	पैरा–40	अनिर्णीत	
44	पैरा–41	अनिर्णीत	
45	पैरा–42	निर्णीत	(लम्बित मामलों बारे नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2012 के पैरा संख्या "69" में दर्शाई गई है।)
46	पैरा–43	अनिर्णीत	
47	पैरा–44	अनिर्णीत	
48	पैरा–45	अनिर्णीत	
49	पैरा–46	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2012 के पैरा संख्या "70" में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	419
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	6
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009 तक अनिर्णीत पैरे	413